एपीडा
APEDA

वार्षिक रिपोर्ट 2017–18

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा)

एपीडा
APEDA

एपीडा
APEDA

वार्षिक रिपोर्ट 2017-18

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण
(एपीडा)

एपीडा
APEDA

वार्षिक रिपोर्ट 2017-18

विषय सूची

1. एपीडा की स्थापना 4
   1.1 एपीडा – संगठनात्मक संरचना 4
   1.2 निर्दिष्ट कार्य 6
   1.3 एपीडा द्वारा मॉनीटर किए गए उत्पाद 7
   1.4 एपीडा प्राधिकरण की संरचना 8
   1.5 प्रशासनिक संरचना 9
2. एपीडा का निर्यात परिदृश्य 10
   2.1. कृषि निर्यातों में एपीडा की हिस्सेदारी (अप्रैल 2017–मार्च 2018) 10
   2.2. प्रमुख 15 बाजाारों में एपीडा के निर्यात की हिस्सेदारी 11
   2.3. एपीडा के प्रमुख उत्पाद और प्रमुख बाजार 12
   2.4. एपीडा का निर्यात प्रदर्शन 15
3. प्राधिकरण की बैठकें और सांविधिक कार्य 16
4. निर्यातकों का पंजीकरण 16
   4.1. पंजीकरण–सह–सदस्यता प्रमाणपत्र (आरसीएमसी) 16
   4.2. पंजीकरण–सह–आवंटन प्रमाणपत्र (आरसीएसी) 17
   4.2.1. बासमती चावल के निर्यात हेतु आरसीएएस 17
   4.2.2. चीनी के आयात के लिए आरसीएसी 17
   4.3. मूंगफली और मूंगफली उत्पादों के निर्यात के लिए जारी निर्यात प्रमाणपत्र (सीओई) 17
5. एपीडा में राजभाषा का कार्यान्वयन 17
6. एपीडा की कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना 18
   6.1. बाजार विकास 18
   6.2. अवसंरचना विकास 18
   6.3. गुणवत्ता विकासप 18
7. एपीडा की ई–गवर्नेंस पहलें 18
   7.1. कारोबार करने में आसानी (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) के लिए की गई प्रमुख पहलें 18
   7.2 कारोबार करने में आसानी (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) के लिए की गई अन्य पहलें 19
8. उत्पाद श्रेणियों में प्रमुख गतिविधियां/उपलब्धिया 20
   8.1 बागवानी क्षेत्र 20
   8.2 अनाज क्षेत्र 22
   8.3 प्रसंस्कृत और अन्य प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र 25
   8.4 पशुधन क्षेत्र 25
   8.5 जैविक क्षेत्र 26
   8.6 अवसंरचना विकास 28
   8.7 गुणवत्ता विकास 30
9. अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय आयोजनो में भागीदारी 30
   9.1 अंतर्राष्ट्रीय आयोजन 30
   9.2 संवर्धन कार्यक्रम 32
   9.3 राष्ट्रीय आयोजन 32
10. एपीडा के क्षेत्रीय कार्यालयों की गतिविधियां 36
   10.1 एपीडा क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई 36
   10.2 एपीडा क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलुरु 37
   10.3 पूर्वोत्तर क्षेत्र में पहलें – एपीडा क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी 39
   10.4 एपीडा क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता 41
   10.5 एपीडा क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद 43

1. एपीडा की स्थापना

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) की स्थापना भारत सरकार द्वारा दिसम्बर, 1985 में संसद द्वारा पारित कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। यह अधिनियम (1986 का 2) भारत के राजपत्र: असाधारण: भाग–।। [(खंड 3(ii): 13.2.1986)] में जारी अधिसूचना द्वारा 13 फरवरी, 1986 से लागू हुआ। प्राधिकरण ने प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात संवर्धन परिषद् (पीएफईपीसी) को प्रतिस्थापित कर दिया।

एपीडा अधिनियम की धारा 21(2) अध्याय V के संदर्भ में, प्राधिकरण के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, जिसमें गत वित्तीय वर्ष के दौरान प्राधिकरण की गतिविधियों, नीति और कार्यक्रमों का सटीक और संपूर्ण विवरण दिया गया हो, को वार्षिक रूप से केंद्रीय सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है ताकि इसे संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जा सके।

यह वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) का 32वां वार्षिक प्रतिवेदन है।

1.1. एपीडा – संगठनात्मक संरचना

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) का मुख्यालय नई दिल्ली में है और अध्यक्ष, एपीडा इसके प्रमुख हैं।

एपीडा ने मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता और गुवाहाटी में 5 क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए हैं।

एपीडा 31 वर्षों से कृषि–निर्यात समुदाय की सेवा कर रहा है। एपीडा के बारे में बुनियादी जानकारी, उसके कार्यों, उद्यमियों/संभावित निर्यातकों के पंजीकरण और वित्तीय सहायता योजनाओं आदि के प्रसार के लिए संबंधित राज्य सरकारों/एजेंसियों के सहयोग से देश के विभिन्न भागों में निर्यातकों तक पहुँच बनाने के लिए उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, नागालैंड में 5 आभासी (वर्चुअल) कार्यालयों की स्थापना की गई है।

एपीडा
APEDA

- मुख्यालय
  - दिल्ली
- क्षेत्रीय कार्यालय
  - मुम्बई
  - कोलकाता
  - हैदराबाद
  - बेंगलुरू
  - गुवाहाटी
- आभासी कार्यालय
  - उत्तर प्रदेश
  - आंध्र प्रदेश
  - अरूणाचल प्रदेश
  - छत्तीसगढ़
  - नागालैंड

1.2 निर्दिष्ट कार्य

कृषि एंव प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्रधिकरण अधिनियम 1985 (1986 का दूसरा), के अनुसार प्राधिकरण को निम्न कार्य सौंपे गए हैं।

(क) सर्वेक्षण और व्यावहारिक अध्ययन के द्वारा संयुक्त उद्यमों के माध्यम से इक्विटी पूंजी में सहभागिता तथा अन्य अनुदानों के लिए वित्तीय तथा अन्य सहायता प्रदान करके निर्यात के लिए अनुसूचित उत्पादों से सम्बंधित उद्योगों का विकास।

(ख) निर्धारित शुल्क के भुगतान करने पर, अनुसूचित उत्पादों के निर्यातकों के रूप में व्यक्तियों का पंजीकरण करना।

(ग) निर्यात हेतु अनुसूचित उत्पादों के मानक और विशिष्टियां तय करना।

(घ) बूचड़खानों, प्रसंस्करण संयंत्रों, भण्डारण परिसरों, वाहनों अथवा ऐसे अन्य स्थानों जहाँ ऐसे उत्पाद रखे या संभाले जाते हैं, माँस एवं माँस उत्पाद का निरीक्षण करना। जिससे कि ऐसे उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके।

(ङ) अनुसूचित उत्पादों की पैकिंग में सुधार लाना।

(च) भारत से बाहर अनुसूचित उत्पादों के विपणन में सुधार।

(छ) निर्यातोन्मुख उत्पादों को बढ़ावा देना और अनुसूचित उत्पादों का विकास करना।

(ज) अनुसूचित उत्पादों के उत्पादन, प्रसंस्करण, पैकिंग, विपणन अथवा निर्यात में प्रवृत्त कारखानों अथवा संस्थानों के मालिकों अथवा किन्हीं अन्य व्यक्तियों से जो कि अनुसूचित उत्पादों से संबंधित किसी मामले में निर्धारित किए गए किन्हीं अन्य व्यक्तियों से आंकडों का संग्रह करना और इस तरह संग्रह किए गए आंकडों अथवा उनके किन्ही अंशों अथवा उनके उद्धरणों को प्रकाशित करना।

(झ) अनुसूचित उत्पादों से संबंधित उद्योगों के विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षण प्रदान करना।

(ञ) निर्धारित किए गये ऐसे अन्य मामले।

1.3. एपीडा द्वारा मॉनीटर किए गए उत्पाद

एपीडा को निर्यात संवर्धन तथा विकास का उत्तदायित्व भी सौंपा गया है। एपीडा अधिनियम की प्रथम सूची में अधिसूचित उत्पाद निम्नलिखित हैं:

फल, सब्जियां और इनके उत्पाद

मांस और मांस उत्पाद

कुक्कुट और कुक्कुट उत्पाद

डेयरी उत्पाद

कन्फेक्शनरी, बिस्कुट और बेकरी उत्पाद

शहद,गुड़ और चीनी उत्पाद

कोको और उनके उत्पाद, सभी प्रकार के चॉकेलट

मादक तथा गैर-मादक पेय पदार्थ

अनाज और अनाज उत्पाद

मूंगफली तथा अखरोट

अचार, पापड़ और चटनी

ग्वारगम

पुष्पकृषि और पुष्पकृषि उत्पाद

जड़ी-बूटी और औषधीय उत्पाद

चावल को एपीडा अधिनियम की दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया है।

इसके अतिरिक्त, एपीडा को चीनी के आयात की निगरानी करने का दायित्व भी सौंपा गया है।

एपीडा जैविक उत्पादों के निर्यात हेतु निर्मित जैविक उत्पादन हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत निकायों के प्रमाणीकरण को कार्यान्वित करने हेतु स्थापित राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबी) की सेवाओं हेतु सचिवालय के रूप में कार्य करता है। ''जैविक उत्पादन हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम'' के अंतर्गत निर्धारित मानकों के अनुरूप उत्पादन, प्रसंस्करण तथा पैकिंग करने पर उत्पादों को जैविक प्रमाणित किया जाता है और निर्यात किया जाता है।''

1.4. एपीडा प्राधिकरण की संरचना

जैसा कि संविधि द्वारा निर्धारित किया गया है, एपीडा प्राधिकरण में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं, यथाः

1. केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष

2. भारत सरकार के कृषि विपणन सलाहकार, पदेन

3. नीति आयोग का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सदस्य जिसे केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है

4. संसद के तीन सदस्य जिनमें से दो लोक सभा एवं एक राज्य सभा से किया जाता है

5. **केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त आठ सदस्य जो कि केंद्र सरकार के निम्न से संबंधित मंत्रालयों का प्रतिनिधित्व करेंगे:**
   - (i) कृषि और ग्रामीण विकास
   - (ii) वाणिज्य
   - (iii) वित्त
   - (iv) उद्योग
   - (v) खाद्य
   - (vi) नागरिक आपूर्ति
   - (vii) नागर विमानन
   - (viii) जहाजरानी और परिवहन

6. केंद्र सरकार द्वारा राज्यों और संघ क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले पाँच सदस्य जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा वर्णानुक्रम के अनुसार बारी–बारी से नियुक्त किया जाता है

7. **निम्न का प्रतिनिधित्व करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त सात सदस्य**
   - i) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
   - ii) राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड
   - iii) राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ
   - iv) केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकीय अनुसंधान संस्थान
   - v) भारतीय पैकेजिंग संस्थान
   - vi) मसाला निर्यात संवर्धन परिषद और
   - vii) काजू निर्यात संवर्धन परिषद।

8. **केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने बाहरी सदस्य जो निम्न का प्रतिनिधित्व करेंगे।**
   - क) फल एवं सब्जी उत्पाद उद्योग
   - ख) मांस, कुक्कुट और डेयरी उत्पाद उद्योग
   - ग) अन्य अनुसूचित उत्पाद उद्योग
   - घ) पैकेजिंग उद्योग

9. केंद्र सरकार द्वारा कृषि, अर्थशास्त्र, तथा अधिसूचित उत्पादों के विपणन के क्षेत्र के विशेषज्ञ एवं वैज्ञानिकों में से नियुक्त दो सदस्य

1.5. प्रशासनिक संरचना

अध्यक्ष	-	केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त
निदेशक	-	एपीडा द्वारा नियुक्त
सचिव	-	केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त
अन्य अधिकारी और कर्मचारी	-	एपीडा द्वारा नियुक्त

एपीडा अधिनियम की धारा 7(3) में प्राधिकरण द्वारा ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रावधान किया गया है, जैसा की इसके कार्यों के कुशल निष्पादन के लिए आवश्यक हो।

क, ख, ग और घ की विभिन्न श्रेणियों (अध्यक्ष सहित) में कुल स्वीकृत कर्मचारी क्षमता 124* है।

प्राधिकरण के अध्यक्ष

श्री डी.के. सिंह ने दिनांक 01.04.2017 से 31.03.2018 तक एपीडा के अध्यक्ष का कार्यभार संभाला।

निदेशक

श्री सुनील कुमार ने दिनांक 01.04.2017 से 31.03.2018 तक एपीडा के निदेशक का कार्यभार संभाला।

प्राधिकरण के अधिकारी और कर्मचारी

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, संगठन में 124 की कुल स्वीकृत कर्मचारी क्षमता (अध्यक्ष और सचिव सहित) की तुलना में, कर्मचारियों की कुल संख्या 87 थी। एपीडा प्राधिकरण के कर्मचारियों का श्रेणी–वार ब्यौरा निम्नानुसार था:

सरकार में समूह क के पदों के समतुल्य श्रेणियों में ;अध्यक्ष और सचिव सहित	**25**
सरकार में समूह ख के पदों के समतुल्य श्रेणियों में	**31**
सरकार में समूह ग के पदों के समतुल्य श्रेणियों में	**31**

प्राधिकरण द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों और महिला कर्मचारियों के कल्याण और विकास की पर्याप्त रूप से देखभाल की जाती है। एपीडा में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों और महिला कर्मचारियों की ओर से ऐसी कोई शिकायत नहीं है जिसका समाधान न हुआ हो।

एपीडा ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त करने के लिए एक समिति का गठन किया है जिसकी अध्यक्षता उप महाप्रबंधक स्तर की एक महिला अधिकारी कर रही हैं।

सरकारी मानकों के अनुसार, शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण सभी संवर्गों में कुल क्षमता का 3 प्रतिशत आरक्षण होता है। वर्तमान में 87 कर्मचारियों में से दो कर्मचारी दिव्यांग हैं। एपीडा में दिव्यांग व्यक्तियों के कल्याण का ध्यान रखा जाता है। एपीडा ने एक दिव्यांग कर्मचारी को कार्यालय में चलने–फिरने के लिए मोटर–युक्त व्हील चेयर प्रदान की है। इसके अतिरिक्त, उन्हें नियमानुसार सभी सुविधाएं दी जाती हैं। अब तक उनकी ओर से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

वर्तमान में, एपीडा में समूह क, ख और ग में 25 महिला कर्मचारी हैं। महिला कर्मचारियों के कल्याण की भली–भांति देखरेख की जाती है और किसी भी महिला कर्मचारी की ओर से उत्पीड़न के बारे में या उनके कल्याण के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

2. एपीडा का निर्यात परिदृश्य

2.1. कृषि निर्यात में एपीडा की हिस्सेदारी (अप्रैल 2017-मार्च 2018)

भारत के निर्यात संबंधी आंकड़े 2017-18

कुल व्यापारिक निर्यात	$ 303.4 बिलियन
कुल कृषि उत्पादों का नियति	$ 38.2 बिलियन
कुल व्यापारिक निर्यात में कृषि उत्पादों की % (हिस्सेदारी)	12.6%
एपीडा के कुल उत्पाद (सभी कृषि उत्पादों का 48.7%)	$ 18.6 बिलियन

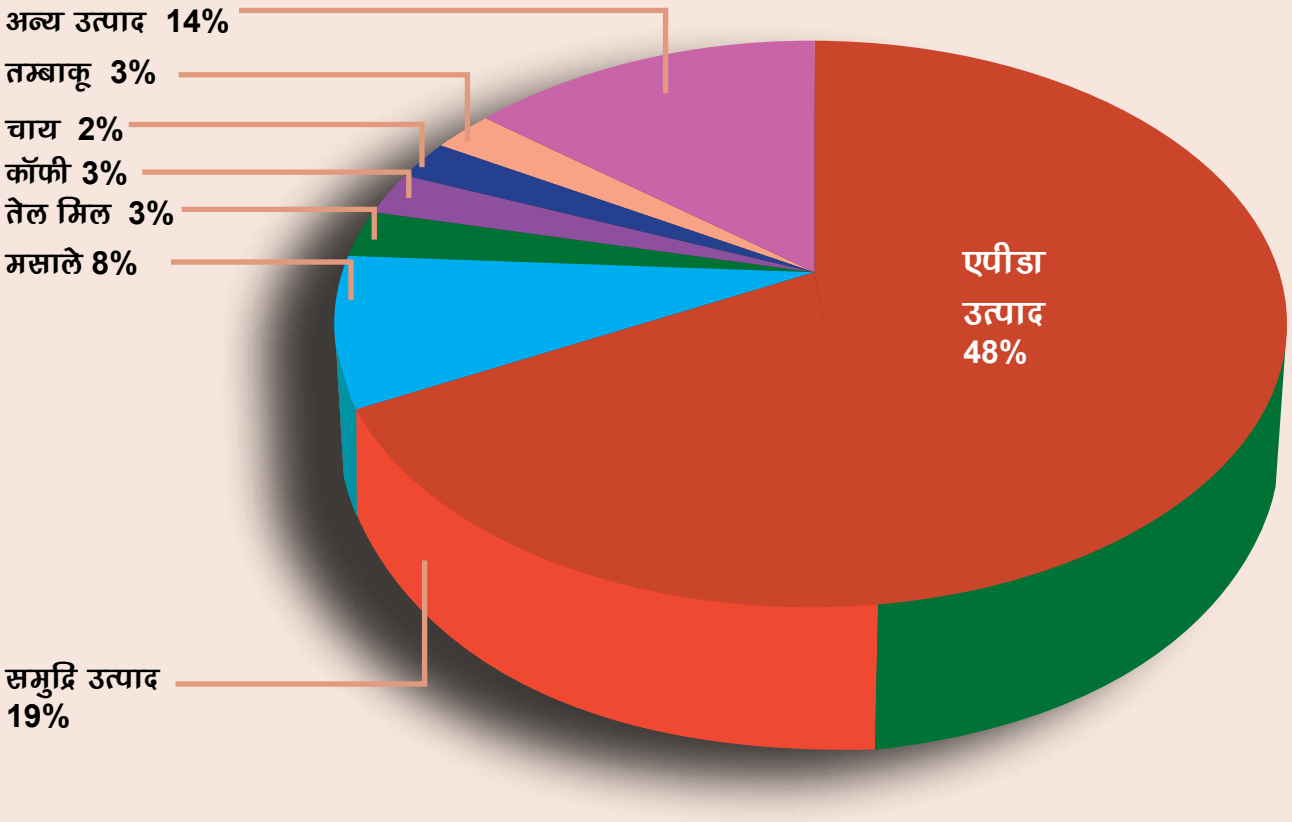

2.2 प्रमुख 15 बाजारों में एपीडा के निर्यात की हिस्सेदारी (%)(2017–18)

देश का नाम	2017-18	
	मूल्य, मिलियन अमरीकी डॉलर में	% हिस्सेदारी
वियतनाम सोशल रिपब्लिक	2445.73	13.17
संयुक्त अरब अमीरात	1332.78	7.18
सउदी अरब	1256.52	6.77
यूनाइटेड स्टेट्स	1141.9	6.15
ईरान	1009.09	5.43
बांग्लादेश	1008.72	5.43
ईराक	669.62	3.61
नेपाल	660.78	3.56
मलेशिया	641.82	3.46
यूनाइटेड किंग्डम	415.45	2.24
इंडोनेशिया	413.59	2.23
श्रीलंका	392.86	2.12
नीदरलैंड	357.83	1.93
बेनिन	337.6	1.82
इजिप्ट अरब गणराज्य	314.23	1.69

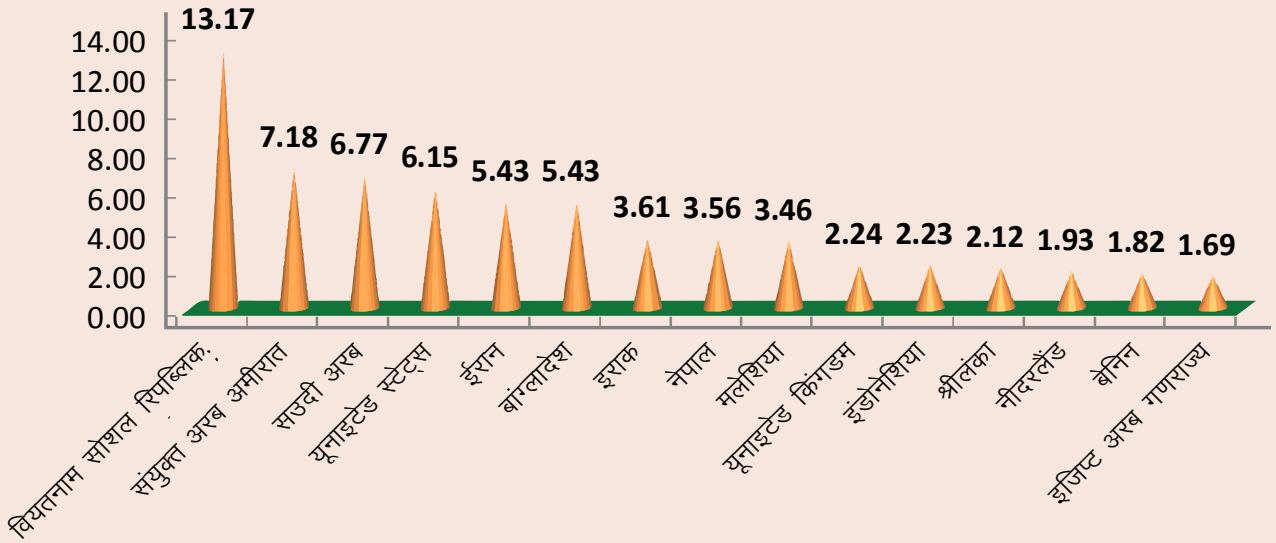

2.3 एपीडा के प्रमुख उत्पाद और प्रमुख बाजार (% हिस्सेदारी 2017–18)

पुष्पकृषि				
यूनाइटेड स्टेट्स (20.69 %)	नीदरलैंड (12.94 %)	यूनाइटेड किंगडम (10.49 %)	जर्मनी (7.23 %)	संयुक्त अरब अमीरात (5.77 %)
फलों और सब्जियों के बीज				
यूनाइटेड स्टेट्स (19.65 %)	नीदरलैंड (17.43 %)	पाकिस्तान (13.59 %)	बांग्लादेश (10.51 %)	थाईलैंड (5.40 %)
ताजा प्याज				
बांग्लादेश (19.41 %)	मलेशिया (19.06 %)	श्रीलंका (18.14 %)	संयुक्त अरब अमीरात (13.45 %)	नेपाल (4.65 %)
अन्य ताजी सब्जियां				
संयुक्त अरब अमीरात (19.39 %)	नेपाल (14.54 %)	यूनाइटेड किंगडम (9.31 %)	कतर (8.01 %)	श्रीलंका (6.25 %)
अखरोट				
यूनाइटेड किंगडम (18.22 %)	फ्रांस (17.20 %)	जर्मनी (16.43 %)	इजिप्ट अरब रिपब्लिक (9.75 %)	नीदरलैंड (7.75 %)
ताजे आम				
संयुक्त अरब अमीरात (48.28 %)	यूनाइटेड किंगडम (12.55 %)	सउदी अरब (5.75 %)	कतर (5.18 %)	यूनाइटेड स्टेट्स (4.64 %)
ताजे अंगूर				
नीदरलैंड (30.20 %)	रूस (13.62 %)	यूनाइटेड किंगडम (10.44 %)	जर्मनी (8.65 %)	संयुक्त अरब अमीरात (6.35 %)
अन्य ताजे फल				
संयुक्त अरब अमीरात (30.92 %)	नेपाल (11.39 %)	सउदी अरब (7.20 %)	ओमान (6.85 %)	बांग्लादेश (5.38 %)
खीरा और ककड़ी (तैयार और प्रसंस्कृत)				
यूनाइटेड स्टेट्स (18.95 %)	बेल्जियम (10.35 %)	स्पेन (9.94 %)	फ्रांस (9.09 %)	रूस (9.05 %)
सूखी और संरक्षित सब्जियां				
जर्मनी (13.71 %)	यूनाइटेड स्टेट्स (9.28 %)	यूनाइटेड किंगडम (5.61 %)	ब्राजील (4.75 %)	रूस (4.51 %)
आम का गूदा				
सउदी अरब (20.20 %)	यमन रिपब्लिक (10.74 %)	नीदरलैंड (10.57 %)	यूनाइटेड किंगडम (8.43 %)	कुवैत (6.23 %)
अन्य प्रसंस्कृत फल और सब्जियां				
यूनाइटेड स्टेट्स (16.82 %)	नीदरलैंड (9.92 %)	यूनाइटेड किंगडम (9.01 %)	सउदी अरब (7.70 %)	संयुक्त अरब अमीरात (5.95 %)
दालें				
अल्जीरिया (15.01 %)	यूनाइटेड स्टेट्स (9.72 %)	पाकिस्तान (9.52 %)	संयुक्त अरब अमीरात (8.60 %)	तुर्की (7.47 %)
भैंस का मांस				
वियतनाम सोशल रिपब्लिक (56.73 %)	मलेशिया (9.18 %)	संयुक्त अरब अमीरात (6.32 %)	ईराक (3.86 %)	सउदी अरब (2.92 %)

भेड़/बकरी का मांस

संयुक्त अरब अमीरात (55.82 %)	सउदी अरब (21.24 %)	कतर (9.57 %)	कुवैत (8.96 %)	ओमान (2.43 %)

अन्य मांस

भूटान (36.23 %)	वियतनाम सोशल रिपब्लिक (33.68 %)	ताइवान (22.95 %)	नेपाल (4.98 %)	स्पेन (1.09 %)

प्रसंस्कृत मांस

संयुक्त अरब अमीरात (52.37 %)	वियतनाम सोशल रिपब्लिक (31.97 %)	कतर (9.87 %)	बांग्लादेश (3.04 %)	Bhutan (1.50 %)

पशुओं की केसिंग

वियतनाम सोशल रिपब्लिक (81.01 %)	ताइवान (11.96 %)	हांगकांग (3.13 %)	दक्षिण अफ्रीका (0.88 %)	पुर्तगाल (0.65 %)

कुक्कुट उत्पाद

ओमान (37.11 %)	मालदीव (9.33 %)	वियतनाम सोशल रिपब्लिक (7.94 %)	इंडोनेशिया (6.78 %)	रूस (5.01 %)

दुग्ध उत्पाद

संयुक्त अरब अमीरात (17.34 %)	इजिप्ट अरब रिपब्लिक (14.49 %)	भूटान (9.73 %)	अफगानिस्तान (7.85 %)	नेपाल (7.34 %)

प्राकृतिक शहद

यूनाइटेड स्टेट्स (77.97 %)	सउदी अरब (6.15 %)	संयुक्त अरब अमीरात (4.20 %)	कनाडा (1.53 %)	कतर (1.40 %)

केसिन

यूनाइटेड स्टेट्स (42.34 %)	थाईलेंड (14.47 %)	फिलीपीन (13.85 %)	वियतनाम सोशल रिपब्लिक (8.89 %)	मलेशिया (6.90 %)

एल्बुमिन (अंडे और दूध)

जापान (50.87 %)	वियतनाम सोशल रिपब्लिक (21.24 %)	थाईलेंड (6.43 %)	इंडोनेशिया (5.69 %)	फिलीपीन (5.08 %)

मूंगफली

इंडोनेशिया (44.45 %)	वियतनाम सोशल रिपब्लिक (9.46 %)	फिलीपीन (8.98 %)	मलेशिया (7.60 %)	पाकिस्तान (4.32 %)

ग्वारगम

यूनाइटेड स्टेट्स (53.76 %)	नॉर्वे (6.68 %)	रूस (6.27 %)	चीन पीपुल्स रिपब्लिक (5.97 %)	जर्मनी (4.92 %)

गुड़ और कन्फेशनरी

नेपाल (7.67 %)	बेनिन (7.55 %)	संयुक्त अरब अमीरात (6.88 %)	सूडान (5.17 %)	केन्या (5.07 %)

कोको उत्पाद

यूनाइटेड स्टेट्स (20.12 %)	तुर्की (12.64 %)	इंडोनेशिया (7.59 %)	जर्मनी (7.33 %)	संयुक्त अरब अमीरात (6.73 %)

तैयार अनाज

यूनाइटेड स्टेट्स (17.18 %)	नेपाल (9.40 %)	बांग्लादेश (7.11 %)	संयुक्त अरब अमीरात (6.92 %)	यूनाइटेड किंगडम (5.61 %)

मिल के उत्पाद

यूनाइटेड स्टेट्स (29.16 %)	संयुक्त अरब अमीरात (16.04 %)	आस्ट्रेलिया (5.98 %)	कतर (5.20 %)	यूनाइटेड किंगडम (5.04 %)

मादक पेय

संयुक्त अरब अमीरात (25.01 %)	सिंगापुर (9.26 %)	नाइजीरिया (8.32 %)	नीदरलैंड (7.42 %)	घाना (6.53 %)

विविध तैयार सामग्री

यूनाइटेड स्टेट्स (22.07 %)	संयुक्त अरब अमीरात (9.85 %)	नेपाल (8.42 %)	आस्ट्रेलिया (5.71 %)	यूनाइटेड किंगडम (4.71 %)

बासमती चावल

इरान (21.70 %)	सउदी अरब (19.89 %)	संयुक्त अरब अमीरात (10.50 %)	इराक (10.44 %)	कुवैत (4.27 %)

गैर-बासमती चावल

बांग्लादेश (21.43 %)	बेनिन (8.81 %)	सेनेगल (7.39 %)	नेपाल (6.73 %)	श्रीलंका (5.73 %)

गेहूँ

नेपाल (48.56 %)	अफगानिस्तान (41.96 %)	संयुक्त अरब अमीरात (2.38 %)	बांग्लादेश (1.67 %)	सोमालिया (1.41 %)

मक्का

नेपाल (50.11 %)	बांग्लादेश (15.71 %)	फिलीपीन (6.16 %)	श्रीलंका (4.19 %)	म्यांमार (4.19 %)

अन्य अनाज

पाकिस्तान (16.69 %)	केन्या (8.90 %)	संयुक्त अरब अमीरात (8.14 %)	सउदी अरब (7.05 %)	नेपाल (6.44 %)

स्रोतः डीजीसीआईएस के वार्षिक आंकड़े

2.4 एपीडा निर्यात प्रदर्शन

उत्पाद	2015-16			2016-17			2017-18			2016-17 से 2017-18 में % वृद्धि	
	मात्रा एमटी में	रू. करोड़	यूएस $ मिलियन	मात्रा एमटी में	रू. करोड़	यूएस $ मिलियन	मात्रा एमटी में	रू. करोड़	यूएस $ मिलियन	रू. करोड़	यूएस $ मिलियन
बासमती चावल	4045822	22719	3478	3985196	21513	3217	4056759	26870	4169	24.9	29.6
भैंस का मांस	1314534	26688	4070	1323576	26161	3912	1350563	26034	4037	-0.5	3.2
गैर बासमती चावल	6464570	15483	2369	6770804	16930	2531	8648489	22968	3564	35.7	40.8
ग्वारगम	325251	3234	497	419948	3107	464	494101	4170	647	34.2	39.4
धान्य	316533	3358	513	339923	3566	533	353237	3560	552	-0.2	3.6
अन्य प्रसंस्कृत फल और सब्जियां	321499	2906	444	355316	3149	471	391284	3405	528	8.1	12.2
मूंगफली	542726	4076	620	725704	5444	812	504019	3386	525	-37.8	-35.3
ताजा प्याज	1382960	3097	473	2415739	3106	464	1588986	3089	479	-0.6	3.3
विविध तैयार उत्पाद	355786	2599	397	282577	2566	384	322890	2853	443	11.2	15.3
ताजा अंगूर	161029	1577	236	231117	2065	311	214441	2146	333	3.9	7.1
मादक पेय	238672	2006	307	230827	1991	298	241235	2106	327	5.8	9.8
अन्य ताजा सब्जियां	740466	2219	339	1016438	2832	423	772428	2093	325	-26.1	-23.3
अन्य ताजा फल	377315	1772	270	409081	1836	274	326516	1573	244	-14.3	-11.0
दलहन	256052	1658	252	136968	1279	192	180194	1473	228	15.2	19.1
गुड़ और कन्फेक्शनरी	292841	1290	197	297681	1468	219	252143	1380	214	-6.0	-2.4
ककड़ी और खीरा (तैयार और प्रसंस्कृत)	202954	999	152	179661	936	140	220939	1285	200	37.3	42.4
मक्का	697947	1162	178	566352	1030	154	705514	1228	190	19.3	23.9
दुग्ध उत्पाद	33443	756	115	39167	906	135	48039	1196	185	32.1	37.0
कोको उत्पाद	32653	1268	193	25650	1087	163	29583	1144	177	5.3	9.1
सूखे और संरक्षित सब्जियां	66444	916	140	86791	1082	162	88536	945	147	-12.7	-9.5
पिसे हुए उत्पाद	431465	1103	169	255804	814	122	270377	877	136	7.8	11.8
भेड़/बकरी मांस	21636	834	128	22009	870	130	21907	836	130	-3.9	-0.2
आम का गूदा	128866	796	121	130886	846	126	110924	674	105	-20.3	-17.3
फल और सब्जियों के बीज	13104	529	81	11289	523	78	14463	671	104	28.3	32.6
प्राकृतिक हनी	38177	706	109	45055	558	84	51547	654	101	17.2	21.3
गेहूँ	666669	1062	164	265606	448	67	322790	624	97	39.4	43.8
कुक्कुट उत्पाद	659304	769	117	448725	530	79	453967	552	86	4.1	8.0

उत्पाद	2015-16			2016-17			2017-18			2016–17 से 2017–18 में % वृद्धि	
	मात्रा एमटी में	रू. करोड़	यूएस $ मिलियन	मात्रा एमटी में	रू. करोड़	यूएस $ मिलियन	मात्रा एमटी में	रू. करोड़	यूएस $ मिलियन	रू. करोड़	यूएस $ मिलियन
फूलों की खेती	22692	483	74	22020	547	82	20703	507	79	-7.2	-3.7
ताजा आम	36779	321	50	52761	444	67	49180	382	59	-13.8	-11.5
अन्य अनाज	269974	540	83	168436	396	59	157618	374	58	-5.5	-2.2
पशु केसिंग	206	17	3	173	14	2	12425	327	51	2265.9	2348.3
अखरोट	3292	118	18	2191	55	8	3596	127	20	130.2	138.5
केसीन	5898	216	33	6130	238	35	2670	105	16	-56.0	-54.2
अल्बुमिन (अंडे और दूध)	1934	150	23	1703	88	13	2082	84	13	-4.7	-1.4
अन्य मांस	0	0	0	12	0	0	1044	16	3	7723.8	8400.0
संसाधित मांस	279	6	1	141	5	1	270	10	2	116.4	123.2
कुल	**20469773**	**107432**	**16413**	**21271456**	**108427**	**16212**	**22285459**	**119725**	**18573**	**10.4**	**14.6**

स्रोतः डीजीसीआईएस

3. प्राधिकरण की बैठकें और सांविधिक कार्य

वर्ष 2017–18 के दौरान, एपीडा की तीन बैठकें दिनांक 20 अप्रैल, 2017, 21 सितम्बर, 2017 और 28 फरवरी, 2018 को आयोजित की गईं।

4. निर्यातकों का पंजीकरण

4.1 पंजीकरण-सह-सदस्यता प्रमाणपत्र (आरसीएमसी)

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम 1985 (यथा संशोधित) की धारा 12 की उप–धारा (1) के अधीन एक या एकाधिक अनुसूचित उत्पादों का निर्यात करने वाला हर व्यक्ति, जिस तारीख को ऐसा निर्यात करने का वचन देता है, उस तारीख से एक माह समाप्त होने से पूर्व या इस धारा के लागू होने की तारीख से तीन माह के समाप्ति, जो भी बाद में हो, तक प्राधिकरण को अनुसूचित उत्पाद या अनुसूचित उत्पादों के निर्यातक के रूप में पंजीकरण हेतु आवेदन करेगा। पंजीकरण–व–सदस्यता प्रमाणपत्र (आरसीएमसी) एपीडा के अनुसूचित उत्पादों के निर्यातकों को जारी किया जाता है।

कार्यालय	नये	नवीनीकृत	संशोधन
मुख्यालय (दिल्ली)	977	321	515
मुम्बई	2030	356	801
बेंगलुरु	1421	214	595
हैदराबाद	289	68	132
कोलकाता	343	73	134
गुवाहाटी	50	10	14
कुल	**5110**	**1042**	**2191**

4.2 पंजीकरण-सह-आवंटन प्रमाणपत्र (आरसीएसी)

4.2.1 बासमती चावल के निर्यात के लिए जारी आरसीएसी

कुल आरसीएसी	मात्रा (मिलियन एमटी)	एफओबी मूल्य (यूएस $ मिलियन में)
28816	4.03	4440.82

4.2.2 चीनी के आयात के लिए जारी किए गए आरसीएएस

कुल आरसीएसी	मात्रा (मिलियन एमटी)	सीआईएफ मूल्य (यूएस $ मिलियन में)
138	0.033	15.17

4.3 मूंगफली और मूंगफली उत्पादों के निर्यात के लिए जारी निर्यात प्रमाण पत्र (सीओई)

कुल सीओई	मात्रा (एमटी में)
25162	495000

5. एपीडा में राजभाषा का कार्यान्वयन

वर्ष 2017–18 के दौरान राजभाषा अधिनियम और भारत सरकार के राजभाषा संबंधी नियमों के विभिन्न प्रावधानों का प्रभावी रूप से कार्यान्वयन किया गया है। प्राधिकरण द्वारा चलाई गई कुछ गतिविधियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

5.1 राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें वर्ष के दौरान नियमित रूप से आयोजित की गईं।

5.2 राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के प्रावधानों का कार्यान्वयन किया गया।

5.3 हिंदी में कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एपीडा में प्रोत्साहन योजनाएं उपलब्ध हैं। संगठन के अधिकारियों और कर्मचारियों को हिंदी में प्रभावशाली कार्य के लिए नकद पुरस्कार प्रदान किए गए।

5.4 हिंदी के प्रगामी प्रयोग की वृद्धि करने के लिए एपीडा के कर्मचारियों को राजभाषा संबंधी प्रशिक्षण/सेमीनार/कार्यशाला में नियुक्त किया गया।

5.5 वर्ष 2017–18 के दौरान दिनांक 14–28 सितम्बर तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया। प्रतिदिन के पत्राचार में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं में भग लने वाले और हिन्दी में काम करने वाले कर्मचारियों को सम्मानित करने के लिए पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया।

5.6 दिनांक 14–09–2017 को एनसीयूआई भवन के परिसर में स्थित छह अन्य कार्यालायों के साथ मिलकर संयुक्त रूप से हिंदी दिवस का आयोजन किया गया जिसमें प्रख्यात लेखकों, पत्रकारों, अन्य प्रतिष्ठित अतिथियों आदि को आमंत्रित किया गया।

5.7 कर्मचारियों को हिंदी में नियमित रूप से टिप्पण कार्य करने में सहायता प्रदान करने के लिए सभी फाइलों के कवर पर सामान्य तौर पर प्रयुक्त होने वाले वाक्यांशों को द्विभाषी रूप से प्रिंट कराया जाता है।

5.8 प्रत्येक प्रभाग में नियत लक्ष्यों को हासिल करने और राजभाषा कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए प्रत्येक प्रभाग में नोडल अधिकारी नामित किए गए।

5.9 प्रत्येक कर्मचारी को ''कार्यालय सहायिका'' दी गई है और प्रत्येक अनुभाग को राजभाषा के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए अंग्रेजी–हिंदी शब्दकोष दिए गए हैं।

5.10 एपीडा की वेबसाइट हिंदी में उपलब्ध है और समय–समय पर इसे अद्यतन किया जा रहा है।

5.11 राजभाषा के व्यावहारिक कार्यान्वयन के लिए और हिंदी में पत्र व्यवहार में वृद्धि करने के लिए, एपीडा ने अनेक पहलें की हैं और निम्नलिखित ऑनलाइन प्रमाण पत्र द्विभाषी रूप से जारी किए जा रहे हैं:–

क. आरसीएमसी
ख. आरसीएएस
ग. निर्यात प्रमाण पत्र
घ. शैलिंग सह ग्रेडिंग इकाई का मान्यता प्रमाण पत्र
ङ. हॉर्टिकल्चर पैकहाउस का मान्यता प्रमाण पत्र
च. मांस संयंत्रों का पंजीकरण प्रमाण पत्र

6. एपीडा की कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना

6.1 बाजार विकास

6.2 अवसंरचना विकास

6.3 गुणवत्ता विकास

वर्ष 2017–18 के दौरान बजअ आवंटन और एपीडा द्वारा किया गया व्ययः

योजना के घटक	2017-18 (करोड़ रूपए में)		
	सीसीईए द्वारा अनुमोदित	बजट आवंटन	खर्च की गई राशि
1. अवसंरचना का विकास	25.00	25.00	25.00
2. बाजार विकास	15.00	15.00	15.03
3. गुणवत्ता विकास	5.00	5.00	5.00
4. परिवहन सहायता	123.60	123.60	123.60
5. उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए विशेष घटक	5.40	3.90	2.35
6. अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक	6.00	1.50	0.04
कुल योग	180.00	174.00	171.02

परिवहन सहायता (टीएएस) का घटक दिनांक 30 सितम्बर, 2016 से वाणिज्य मंत्रालय के अनुमोदन से बंद कर दिया गया।

7. एपीडा की ई-गवर्नेंस संबंधी पहलें

सरकार भारत में कारोबार करने में आसानी में वृद्धि करने के लिए अनेक नए उपाय और पहलें कर रही है। इन उपायों में मौजूदा नियमों को सरल एवं युक्तिसंगत बनाने और गवर्नेंस को अधिक प्रभावी तथा कुशल बनाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने पर जोर दिया गया है। एपीडा ने मौजूदा ई–गवर्नेंस प्रणाली को विस्तार देने और हितधारकों के लाभार्थ हेतु नई ऑनलाइन सुविधाएं लागू करने के लिए वर्ष के दौरान अनेक उपाय किए हैं।

7.1 कारोबार करने में आसानी (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) के लिए की गई प्रमुख पहलें

7.1.1 Hortinet और basmati.net में किसानों के पंजीकरण के लिए फार्मर कनेक्ट नामक मोबाइल एप्प विकसित और कार्यान्वित किया गया।

7.1.2 हॉर्टीनेट ट्रेसेबिलिटी सिस्टम के अंतर्गत किसानों के पंजीकरण का विस्तार प्रत्येक राज्य की तहसील/तालुक स्तर तक हो रहा है।

7.1.3 जीआई क्षेत्र से और घरेलू बासमती चावल के निर्यात की निगरानी के लिए basmati.net प्रणाली विकसित की गई।

7.1.4 जैविक दालों के लिए आरसीएसी की ऑनलाइन प्रोसेसिंग के लिए सोफ्टवेयर विकसित और कार्यान्वित किया गया।

7.2 कारोबार करने में आसानी (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) के लिए की गई अन्य पहलें

7.2.1 कागजरहित आवेदन प्रक्रिया का विकास और मांस तथा मांस प्रसंस्करण का पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किया जाना – वर्ष 2017–18 में की गई ई–गवर्नेंस पहलों में से, Meat.net सोफ्टवेयर के माध्यम से मीट ट्रेसेबिलिटी सिस्टम के उल्लेखनीय सुदृढ़ीकरण से भैंस मांस के क्षेत्र में भारतीय निर्यातकों की विश्वसनीयता अर्जित करने में सहायता मिली है। मौजूदा एकीकृत मांस संयंत्रों का ऑनलाइन पंजीकरण वर्ष 2017–18 में पूरा किया जा चुका है जिसके परिणामसवरूप मांस संयंत्रों के पंजीकरण से संबंधित पूरा डेटा Meat.net के माध्यम से जारी पशु स्वास्थ्य प्रमाणपत्र के साथ जोड़ा जा रहा है। वर्ष 2017 (जनवरी–फरवरी) के दौरान, Meat.net के माध्यम से लगभग 6000 स्वास्थ्य प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं। Meat.net के माध्यम से ई–गवर्नेंस के परिणामस्वरूप मांस निर्यातकों को अपने नवीकरण आवेदन ऑनलाइन प्रस्तुत करके कारोबार करने में आसानी हुई है। ऑनलाइन प्रोसेस से निर्यातकों और एपीडा के बीच व्यक्तिगत संपर्क में भी कमी आई है क्योंकि अन्य दस्तावेजों, निरीक्षण रिपोर्टों, अनुपालन प्रमाणपत्रों आदि को Meat.net पर अपलोड किया जाता है। इसी प्रकार, संबंधित राज्य सरकारों के पशुपालन अधिकारी ऑनलाइन पशु स्वास्थ्य प्रमाणपत्रों को जारी करने के लिए अब Meat.net का प्रयोग कर रहे हैं। इस पहल के परिणामस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांस निर्यातकों की प्रतिष्ठा में वृद्धि करने के लिए विश्वसनीय सूचना आधार प्राप्त हुआ है।

7.2.2 ई–सर्विस बुक और ई–एपीएआर का डिजाइन और विकास।

7.2.3 मूंगफली इकाई के पंजीकरण/नवीकरण के लिए और निर्यात प्रमाणपत्र जारी करने के लिए मूंगफली संबंधी स्टेकधारकों के लिए Peanut.Net प्रणाली में ई–वालेट सुविधा आरंभ की गई है।

7.2.4 मूंगफली के लिए प्रयोगशाला परीक्षण सब्सिडी के ऑनलाइन आवेदन और संवितरण प्रणाली का स्टेकधारकों के लिए विकास और कार्यान्वयन किया गया।

7.2.5 विभिन्न ऑनलाइन पंजीकरण और प्रमाणपत्रों (आरसीएमसी, आरसीएसी, सीओई आदि) के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक ऑटो जेनरेट इनवॉइस विकसित और कार्यान्वित किया गया है।

7.2.6 आरसीएमसी, आरसीएसी, सीओई और सभी प्रकार के ऑनलाइन इकाई पंजीकरण आदि के लिए विभिन्न प्रकार के ऑनलाइन प्रमाणपत्रों की स्टेकधारकों के लिए द्विभाषी प्रिंटिंग डिजाइन, विकसित और कार्यान्वित की गई है।

7.2.7 ईमेल के माध्यम से 34000 से अधिक प्राप्तकर्ताओं के लिए प्रत्यक्षतः अधिक उपयोगी सूचना–पत्र (न्यूजलेटर) प्रतिदिन परिचालित किया जाता है।

8. उत्पाद श्रेणियों में प्रमुख गतिविधियां/उपलब्धियां

8.1 बागवानी क्षेत्र

8.1.1. यूएसए, दक्षिण कोरिया, चीन, ईरान, दक्षिण अफ्रीका, जापान, यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में आम के लिए निर्यात और बाजार प्रवेश संबंधी पहलें

1. यूएसए के लिए आम के निर्यात में दुगने से अधिक की वृद्धि हुई है अर्थात यह पिछले वर्ष 767.38 मीट्रिक टन से बढ़कर 1050 मीट्रिक टन हो गया है। निर्यात निम्नलिखित तीन प्रदीपन (इरेडिएशन) सुविधाओं के माध्यम से किया जाता है:

   क्रुशक, लासनगावं – 537.508 मीट्रिक टन

   आईएफसी वाशी – 398.223 मीट्रिक टन

   इनोवा बंगलौर – 119.331 मीट्रिक टन

2. दक्षिण कोरिया ने जून 2016 में आम के लिए बाजार में प्रवेश को मंजूर दी है। आम निरीक्षक निर्यात सीजन 2017 के दौरान, चार वीएचटी सुविधा केंद्रों पर ऑन–साइट क्लियरेंस प्रोग्राम के लिए दो क्यूआईए निरीक्षक नियुक्त किए गए हैं। आम सीजन 2017 में दक्षिण कोरिया को आम का निर्यात 66 मीट्रिक टन था।

3. चायनीज प्लांट क्वारंटाइन एथोरिटी (एक्यूएसआईक्यू), चीन ने हमारे अनुरोध पर चीन स्थित भारतीय दूतावास के समर्थन से अप्रैल 2017 में 25 एचडब्ल्यूटी सुविधाएं अनुमोदित की हैं। यह मुद्दा पिछले दो वर्ष से एक्यूएसआईक्यू, चीन के पास लंबित था। इसकी सूची एक्यूएसआईक्यू, चीन द्वारा उनकी सरकारी वेबसाइट पर भी डाली गई है।

4. भारत से ईरान को एचडब्ल्यूटी संसाधित आमों के निर्यात के लिए एचडब्ल्यूटी सुविधाओं को सत्यापित करने के लिए दो सदस्यीय ईरानी शिष्टमंडल ने दिनांक 21–28 अप्रैल 2017 के दौरान भारत का दौरा किया। अपनी यात्रा के दौरान शिष्टमंडल ने पांच सुविधाएं अर्थात चार भारत के पश्चिमी भागों से और एक उत्तरी भाग से, अनुमोदित कीं। आम सीजन 2017 के दौरान भारत से ईरान को आम का निर्यात 22.79 मीट्रिक टन था।

5. दक्षिण अफ्रीका में अंगूर, आम और केले के लिए बाजार प्रवेश के लिए यूरोपियन यूनियन और अन्य देशों को अंगूर, आम और केले के निर्यात के लिए स्थापित प्रणाली के सत्यापन के लिए तीन सदस्यीय दक्षिण अफ्रीकी शिष्टमंडल ने दिनांक 19.02.2018 से 23.02.2018 तक भारत का दौरा किया। भारत स्थित दक्षिण अफ्रीकी उच्चायोग ने सूचित किया है कि दक्षिण अफ्रीका में भारतीय आम के बाजार प्रवेश पर विचार किया जा रहा है।

6. वर्ष 2017–18 के दौरान, जापान को 63.876 मीट्रिक टन, यूरोपियन यूनियन को 42.90 मीट्रिक टन, ऑस्ट्रेलिया को 36 मीट्रिक टन और न्यूजीलैंड को 1.93 मीट्रिक टन आम का निर्यात किया गया।

8.1.2 कनाडा, यूएसए, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को अंगूरों के निर्यात और बाजार प्रवेश संबंधी पहलें

1. कनाडा ने वर्ष 2015 में प्रारंभिक परीक्षण नौवहन अवधि, जिसके दौरान कैनेडियन फूड इंस्पेक्शन एजेंसी (सीएफआईए) ने कनाडा में प्रवेश करने वाले अंगूरों की 100 प्रतिशत कंसाइन्मेंट का निरीक्षण किया और ताजा अंगूरों के लिए बाजार प्रवेश मंजूर किया है। 11 अक्टूबर, 2017 से, सीएफआईए द्वारा अधिसूचित किया गया है कि भारत से ताजा अंगूरों के आयात के लिए परमिट की अब और आवश्यकता नहीं होगी और आयात निरीक्षण दरें सीएफआईए के मानक स्तरों तक घटा दी जाएंगी। सीएफआईए भारत से पहुँचने वाले अंगूरों के लिए फाइटोसेनीटरी आयात अपेक्षाओं को संशोधित करेगी। इस संबंध में, एपीडा की वेबसाइट पर सार्वजनिक सूचना के लिए एक एडवाइजरी होस्ट की गई।

2. यूएसए में अंगूरों के लिए बाजार प्रवेश की मंजूरी के लिए यूरोपियन यूनियन और अन्य देशों के निर्यात के लिए स्थापित प्रणाली के सत्यापन के लिए दिनांक 28 जनवरी, 2018 से 01.02.2018 के दौरान यूएसडीए–एपीएचआईएस तकनीकी विशेषज्ञ शिष्टमंडल का दौरा आयोजित किया गया।

3. न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का अंगूरों के निर्यात के लिए एसओ2 और सीओ2 के लिए फ्यूमीगेशन प्रॉटोकोल के विकास और मानकीकरण संबंधी परियोजना सीआईपीएचईटी और एनआरसीजी (तकनीकी भागीदार) को प्रदान की गई। फ्यूमीगेशन चैम्बर स्थापित करने का कार्य पूरा किया जा चुका है, वर्तमान में लीकेज प्रूफ के लिए मूल्यांकन/पुष्टि का कार्य सीआईपीएचईटी द्वारा तृतीय पक्षकार को सौंपा गया है। फ्यूमीगेशन चैम्बर के लीकेज प्रूफ होने की सफल रिपोर्ट के बाद, आईसीएआर–एनआरसी ग्रेप्स, पुणे द्वारा प्रोटोकाल के मानकीकरण/विकास के लिए तकनीकी कार्य आरंभ किया जाएगा।

8.1.3 परीक्षण नौवहन (ट्रायल शिपमैंट)

8.1.3.1 पश्चिमी क्षेत्र

1. महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र से, मैसर्स आईएनआई फार्म्स, मुम्बई द्वारा दुबई के लिए समुद्री शिपमैंट भेजकर केले की जी–9 वेरायटी (अर्थात कैवेंडिश ड्वार्फ) का निर्यात आरंभ किया गया है। यह एपीडा, मुंबई द्वारा अकोला क्षेत्र में आयोजित सम्पर्क कार्यक्रम का परिणाम था। ये प्रयास एपीडा द्वारा विदर्भ क्षेत्र से केले के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किए गए हैं।
2. ईयू द्वारा 1 जनवरी, 2017 से प्रतिबंध हटाए जाने के बाद एमएसएएमबी के वीएचटी सुविधा केंद्र से यूके को करेले की पहले कन्साइन्मैन्ट का निर्यात दिनांक 15 जुलाई, 2017 को किया गया।
3. नागपुर हवाईअड्डे से नागपुर मंदारिन संतरे की तीन परीक्षण रूपी हवाई कन्साइन्मैन्ट भेजी गईं
   - बहरीन को 1.2 मीट्रिक टन की पहली कन्साइन्मैन्ट
   - यूएई को 1 मीट्रिक टन की पहली कन्साइन्मैन्ट
   - कतर को 1.5 मीट्रिक टन की तीसरी कन्साइन्मैन्ट

8.1.3.2 दक्षिणी क्षेत्र

1. नेंद्रन केले के लिए सामुद्रिक प्रोटोकाल के विकास के लिए, आईसीएआर–एनआरसी–त्रिची को एक परियोजना प्रदान की गई। परियोजना के अधीन, 15 मीट्रिक टन (एक कंटेनर) के एक ट्रायल शिपमैंट का केरल से दुबई के लिए सफलतापूर्वक निर्यात किया गया। प्रोटोकाल का मानकीकरण किया जा चुका है। आज की तारीख तक केले के 20 कंटेनर (280 मीट्रिक टन) यूएई को निर्यात किए जा चुके हैं।

8.1.3.3 उत्तरी क्षेत्र

1. दिनांक 20.12.2017 को एलबीएस अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, वाराणसी से दुबई के लिए ताजा सब्जियों (हरी मिर्च) का एक ट्रायल शिपमैंट भेजा गया। ट्रायल शिपमैंट के बाद, ताजी सब्जियों की ग्यारह (11) शिपमैंट का वाराणसी से दुबई के लिए निर्यात किया जा चुका है।

8.1.3.4 पूर्वोत्तर क्षेत्र

1. अक्टूबर 2017 में अनानास की क्यू वेरायटी का एक ट्रायल शिपमैंट हवाई मार्ग द्वारा दुबई भेजा गया, इसके बाद त्रिपुरा से कुल 4 कन्साइन्मैन्ट वर्ष 2017 में दुबई भेजी गईं।
2. अरुणाचल प्रदेश से मंदारिन संतरे का और मेघालय से अनानास का ट्रायल शिपमेंट दिनांक 2 जनवरी, 2018 को गुवाहाटी हवाईअड्डे से विमान द्वारा दुबई भेजा गया, जो सफल रहा, जिससे आने वाले सीजन में सफल खेपों का मार्ग प्रशस्त हुआ। ये अनानास मेघालय के राई–भोई जिले के अन्नानास क्लस्टर से थे।

8.1.4 कार्यशालाएं/प्रशिक्षण सह जागरूकता/सम्पर्क कार्यक्रम

1. लीची के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मई और जून 2017 के दौरान बिहार राज्य के मुजफ्फरनगर में लीची पर आईसीएआर–एनआरसी के माध्यम से लीची उत्पादकों और अन्य स्टेकधारकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।
2. दिनांक 16.01.2018 को पटना (बिहार) में संबंधित स्टेकधारकों के सन्सटाइजेशन के लिए बिहार उद्योग संघ (बीआईए) के माध्यम से एक सम्पर्क कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एपीडा की गतिविधियों और वित्तीय योजनाओं पर एक विस्तृत प्रेजेंटेशन दिया गया।

8.1.5 पैकेजिंग मानकों का विकास

भारतीय पैकेजिंग संस्थान के माध्यम से निम्नलिखित ताजा फलों और सब्जियों के लिए पैकेजिंग मानक विकसित किए गए हैं:

1) अंगूर
2) आम
3) टिंडोला, किंडोला, बैंगन
4) शरीफा, अनार
5) प्याज, आलू
6) केला, संतरा
7) हरी मिर्च, बेबी कॉर्न, बैंगन, भिण्डी और पापड़
8) अरबी, जिमिकंद
9) स्नो पीज, स्नैप पीज, शतावरी, चेरी टमाटर
10) शहद

ताजा किवी के निर्यात के लिए पैकेजिंग मानकों के विकास के लिए आईआईपी, मुम्बई को कर सहित 20 लाख रूपयों की लागत पर एक अनसंधान एवं विकास परियोजना प्रदान की गई।

8.1.6 क्लस्टर विकास

विभिन्न राज्यों में एपीडा के नामित नोडल अधिकारियों द्वारा क्लस्टर विकास कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए:

क्र.सं.	स्थान	दिनांक	प्रशिक्षण
1	करनूल	27.03.2018	केले और अनार पर क्लस्टर विकास कार्यक्रम
2	चिक्काबलपुर और कोला	23.03.2018 24.03.2018	आम और गुलाबी प्याज पर क्लस्टर विकास कार्यक्रम
3	मेघालय	28.03.2018	अनानास पर क्लस्टर विकास कार्यक्रम
4	पश्चिम बंगाल	13-16.03.2018	सब्जी क्लस्टर पर क्लस्टर विकास कार्यक्रम
5	मुवाट्टुपुय्या	08.03.2018	अनानास पर क्लस्टर विकास कार्यक्रम
6	गुजरात में साबरकंथा, गांधी नगर, महेसाणा	21- 23.03.2018	आलू पर क्लस्टर विकास कार्यक्रम
7	जीएनएफसी, भरूच	26.02.2018	केले पर क्लस्टर विकास कार्यक्रम

8.1.7 अन्य पहलें

1) एपीडा द्वारा किए गए प्रयासों/पहलों के बाद, संबंधित क्षेत्र में निर्यातकों को फाइटोसेनीटरी प्रमाणपत्र जारी करने के लिए एलबीएस अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, वाराणसी में दिनांक 20.12.2017 को एक पौध संगरोध (पीक्यू) स्टेशन खोला गया।

2) एपीडा द्वारा मैसर्स येस बैंक को ''कृषि उत्पादों की आपूर्ति श्रृंखला में निर्यातकों के समक्ष समस्याएं'' विषय पर एक अध्ययन प्रदान किया गया। इस किए गए अध्ययन, और मैसर्स येस बैंक की सिफारिशों के आधार पर निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों के साथ मामला उठाया गया है।

   क. संयुक्त सचिव (सीमाशुल्क), केंद्रीय आबकारी और सीमाशुल्क बोर्ड (सीबीईसी), कृषि उत्पादों के निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए उनसे समर्थन मांगने के लिए।

   ख. संयुक्त सचिव (पत्तन), शिपिंग मंत्रालय, कृषि उत्पादों के निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए उनसे समर्थन मांगने के लिए।

8.2 अनाज क्षेत्र

8.2.1 बाजार प्रवेश:

(i) चीन में चावल के निर्यात के लिए बाजार प्रवेश: एक्यूएसआईक्यू की टीम ने 19 इकाइयों के स्थल सत्यापन के लिए सितम्बर 2016 में भारत का दौरा किया और इसके बाद चीन को बासमती चावल के निर्यात के लिए नवम्बर, 2016 में 14 चावल स्थापनाओं के लिए अनुमोदन सम्प्रेषित किया गया। चीन को गैर–बासमती चावल के निर्यात को एक्यूएसआईक्यू और एनपीपीओ इंडिया के बीच प्रोटोकॉल के संशोधन के लिए तकनीकी चर्चाओं के बाद अनुमोदन प्राप्त होने की सम्भावना है।

(ii) दिनांक 26 जुलाई, 2017 की निविदा सूचना द्वारा ट्राईसाइकाजोल के एमआरएल में परिवर्तन की वजह से ईयू को बासमती चावल के निर्यात के लिए संविदाओं के पंजीकरण के लिए दिनांक 1.11.2017 से कीटनाशकों के अवशिष्टों के लिए लदान–पूर्व (प्री शिपमैंट) निरीक्षण/ जांच अनिवार्य किया गया। व्यापार और उद्योग के परामर्श से निम्नलिखित 22 कीटनाशकों का परीक्षण किए जाने का निर्णय लिया गया है:

क्र.सं.	कृषि रसायनों का ब्यौरा	ईयू एमआरएल (एमी/केजी)/पीपीएम
1	एसीफेट	0.01*
2	बूप्रोफेजिन	0.5
3	कार्बनडेजिम् बेनोमाइल ख्बेनोमी का योग, और कार्बनडेजिम (आर) के रूप में व्यक्त कार्बनडेजिम	0.01*
4	कार्बोफ्यूरन	0.01*
5	क्लोरफाइरीफोस	0.05*
6	क्लोथियेनीडीन	0.5
7	आईसोप्रोथियोलेन	5
8	मेथामिडोफोस	0.01*
9	प्राइमिफोस–मिथाइल	5
10	प्रोफेनोफोस	0.01*
11	प्रोपीकोनाजोल	1.5
12	टेबूकोनाजोल	1
13	ट्रायजोफोस	0.02*
14	थियामेथेक्जाम	0.01*
15	ट्राइसाइक्लेजोल	0.01*
16	फ्लोनीसेमिड (फ्लानीसेमिड, टीएनएफजी और टीएनएफए) (आर) का योग	0.05
17	आईमीडाक्लोप्रिड	1.5
18	मेटकोनाजोल (आईसोमर्स का योग) (एफ)	0.02
19	प्रोथियोकोनाजोल	0.02
20	टेबूफेनोजाइड	3.0
21	थियोफानेट मिथाइल	0.01
22	साइफ्लूथ्रिन (साइफ्लूथ्रिन जिसमें कंस्टीट्यूएंट आइसोमर्स के अन्य मिश्रण (आईसोमर्स का योग) (एफ)	0.02

* http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/index.cfm?event=substance.selection के अनुसार एलओक्यू पर ईयू–एमआरएल सेट (एमजी/केजी)

टिप्पणीः प्रोपाइकोनाजोल के एमआरएल की समीक्षा प्रक्रियागत है। (टीबीटी की दिनांक 12 अक्टूबर, 2017 की अधिसूचना जी/टीबीटी/एन/ईयू/521)

8.2.2 बासमती उत्पादक किसानों में कीटनाशकों के विवेकपूर्ण प्रयोग के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु अभियान

1. जून 2017 तक, यूरोपियन यूनियन (ईयू) में चावल पर ट्राइसाइक्लाजोल (टीसीए) के लिए अधिकतम अवशिष्ट सीमा 1 एमजी/केजी थी। टीसीए का अनुमोदन प्राप्त न होने के बाद एमआरएल को डिफाल्ट लेवल अर्थात 0.01 एमजी/केजी के स्तर पर लाया गया है। 30 दिसम्बर, 2017 के बाद, ईयू में बासमती चावल एलओडी पर नए एमआरएल को पूरा करना होगा।

2. यह सुनिश्चित करने के लिए, कि खरीफ, 2017 के दौरान उगाई गई बासमती चावल की वेरायटियां, पूसा बासमती 1 और पीबी 1401, नए मानकों को पूरा करती हैं। कीटनाशकों के विवेकपूर्ण प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए एक अभियान चलाया गया।

3. निर्यात हेतु उच्च गुणवत्ता वाले बासमती चावल के उत्पादन के बारे में कृषकों की जागरूकता बढ़ाने के लिए, बासमती निर्यात विकास संस्था (बीईडीएफ) के माध्यम से और अखिल भारतीय चावल निर्यातक संघ (एआईआरईए) के सहयोग से जीआई क्षेत्र वाले सात राज्यों में मई–अगस्त 2017 के दौरान लगभग 25 कार्यशालाएं आयोजित की गईं। कीटनाशकों के विवेकपूर्ण प्रयोग सहित उत्तम कृषि प्रक्रियाओं (जीएपी) के बारे में सूचना का प्रसार करने के लिए राज्यों के कृषि विश्वविद्यालयों (एसएयू) और आईसीएआर संस्थाओं के प्राध्यापकों को शामिल किया गया है।

4. सात बासमती उत्पादक राज्यों के कृषि विभागों से अनुरोध किया गया कि वे स्थानीय रेडियो, केबल ऑपरेटरों और स्थानीय प्रेस के माध्यम से स्थानीय भाषाओं में कृषकों के लिए उपयुक्त परामर्श (एडवाइजरी) जारी करें। कृषकों को सलाह दी गई कि बासमती की फसल पर कीटों और रोगों के प्रबंधन के लिए, केवल उन्हीं रसायनों का प्रयोग किया जाए जिनकी सिफाशि राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (एसएयू) द्वारा चावल पर प्रयोग किए जाने के लिए की गई है। किसी कीटनाशक का प्रयोग करने के बारे में निर्णय लेते समय कीटनाशकों की खुराक और कटाई–पूर्व अंतराल के संबंध में एसएयूएस की सिफारिशों को ध्यान में रखा जाएगा।

बीईडीएफ द्वारा खरीफ 2017 के दौरान आयोजित कार्यक्रम

क्र.स.	जागरूकता/प्रशिक्षण/सम्पर्क कार्यक्रम	स्थल	दिनांक
1	निर्यात के लिए बासमती चावल के उत्पादन में गुणवत्ता सुधार	जम्मू (जम्मू कश्मीर)	30.05.2017
2	निर्यात के लिए बासमती चावल के उत्पादन में गुणवत्ता सुधार	करनाल, हरियाणा	06.06.2017
3	निर्यात के लिए बासमती चावल के उत्पादन में गुणवत्ता सुधार	कुरूक्षेत्र, हरियाणा	07.06.2017
4	निर्यात के लिए बासमती चावल के उत्पादन में गुणवत्ता सुधार	पानीपत, हरियाणा	08.06.2017
5	निर्यात के लिए बासमती चावल के उत्पादन में गुणवत्ता सुधार	जी.बी. नगर, उत्तर प्रदेश	16.06.2017
6	निर्यात के लिए बासमती चावल के उत्पादन में गुणवत्ता सुधार	कपूरथला, पंजाब	22.06.2017
7	निर्यात के लिए बासमती चावल के उत्पादन में गुणवत्ता सुधार	मालन, हिमाचल प्रदेश	25.06.2017
8	निर्यात के लिए बासमती चावल के उत्पादन में गुणवत्ता सुधार	मंडी, हिमाचल प्रदेश	27.06.2017
9	निर्यात के लिए बासमती चावल के उत्पादन में गुणवत्ता सुधार	हस्तिनापुर, उत्तर प्रदेश	07.07.2017
10	निर्यात के लिए बासमती चावल के उत्पादन में गुणवत्ता सुधार	सहारनपुर, उत्तर प्रदेश	13.07.2017
11	निर्यात के लिए बासमती चावल के उत्पादन में गुणवत्ता सुधार	जलालाबाद, पंजाब	25.07.2017
12	निर्यात के लिए बासमती चावल के उत्पादन में गुणवत्ता सुधार	फरीदकोट, पंजाब	26.07.2017
13	निर्यात के लिए बासमती चावल के उत्पादन में गुणवत्ता सुधार	पटियाला, पंजाब	27.07.2017
14	निर्यात के लिए बासमती चावल के उत्पादन में गुणवत्ता सुधार	बरेली, उत्तर प्रदेश	11.08.2017
15	निर्यात के लिए बासमती चावल के उत्पादन में गुणवत्ता सुधार	मोदीपुरम, उत्तर प्रदेश	23.08.2017

8.3 प्रसंस्कृत और अन्य प्रसंस्कृत खाद्य सेक्टर

8.3.1 महाराष्ट्र में धुले, कर्नाटक में चित्रदुर्ग और राजस्थान में बीकानेर में मूंगफली और मूंगफली उत्पादों के पंजीकरण के लिए निर्यात प्रक्रिया और मापदंडों पर तीन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। तत्संबंधी ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	आयोजित जागरूकता कार्यक्रम	स्थान	दिनांक	सहभागियों की संख्या
1.	मूंगफली और मूंगफली उत्पादों के पंजीकरण के लिए निर्यात प्रक्रिया और मापदंडों पर जागरूकता कार्यक्रम	धुले, महाराष्ट्र	20 मई, 2017	150
2.	मूंगफली पर सेनसाटाइजेशन/ जागरूकता कार्यक्रम	हिरियूर, जिला चित्रगुदर्ग, कर्नाटक	24 जनवरी, 2018	45
3.	मूंगफली और मूंगफली उत्पादों के पंजीकरण के लिए निर्यात प्रक्रिया और मापदंडों पर तीन जागरूकता कार्यक्रम	बीकानेर, राजस्थान	16 मार्च, 2018	60

8.3.2 यूएसए को प्रसंस्कृत खाद्य का निर्यात करने वाल निर्यातकों के लिए खाद्य संरक्षा नियंत्रण सहयोग (एफएसपीसीए) मानवीय खाद्य के लिए निवारक नियंत्रण (पीसीएचएफ) पर दिनांक 15–17 नवम्बर 2017 को तिरुपति, आंध्र प्रदेश और 15–17 फरवरी 2018 को बंगलौर में दो 3–दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, और प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम में 25 निर्यातकों ने भागीदारी की।

8.3.3 कनाडा फूड इंस्पेक्शन एजेंसी ने कनाडा को खाद्य उत्पादों का निर्यात करने वाली निम्नलिखित दो इकाइयों का दौरा किया (लेखा परीक्षा की)। एपीडा लेखा परीक्षा टीम का हिस्सा था:

दिनांक	स्थापना का नाम	सामग्री	कारोबार का प्रकार	ट्रिगर
14 मार्च, 2018	बीकानेरवाला फूड प्राइवेट लिमिटेड	स्नैक्स फूड	उत्पादक	अघोषित अलर्जन (ग्लूटन)
15 मार्च, 2018	एलटी फूड्स लिमिटेड	चावल	प्रोसेसर	ईआईसी द्वारा डेमन्स्ट्रशन

8.3.4 एपीडा ने फिक्की द्वारा गुड़गांव में आयोजित बी2बी मेड इंडिया–खाद्य विक्रेता सम्मेलन में भागीदारी की, सउदी अरब साम्राज्य (केएसए), यूएई, यूरीपीय और अफ्रीकी देशों से खरीदारों ने इस सम्मेलन का दौरा किया।

8.3.5 एपीडा ने आईआईपी के माध्यम से उत्पादों के निर्यात के लिए पैकेजिंग संबंधी विनिर्देश विकसित किए और वेबसाइट पर अपलोड किए– प्याज के गुच्छे, लहसुन पाउडर, रेफ्रीजरेटिड कोर्न और ग्वारगम।

8.3.6 एपीडा के अध्यक्ष के नेतृत्व में 18 निर्यातकों के शिष्टमंडल ने सितम्बर, 2017 में रक्षा खाद्य अनुसंधान प्रयोगशाला (डीएफआरएल), मैसूर का दौरा किया।

8.4 पशुधन क्षेत्र

8.4.1 एपीडा का निर्यात परिदृश्य

पशुधन क्षेत्र ने वर्ष 2016–17 की तुलना में 2017–18 के दौरान प्रभावी वृद्धि दर्शाई है। जहां दुग्ध और मुर्गीपालन के छोटे निर्यात आधार वाले क्षेत्रों ने अमरीकी डॉलर के अनुसार 19.4% और 8.3% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाई है, वहीं समग्र रूप से इस सेक्टर ने 5.5% की वृद्धि दर्शाई है जिससे विगत वर्ष के 4389 मिलियन अमरीकी डॉलर की तुलना में इस वर्ष 4607 मिलियन अमरीकी डॉलर का मूल्य प्राप्त किया है।

8.4.2 निर्यातकों के लिए मांस स्थापनाओं को अनुमोदित करने के लिए विदेशी शिष्टमंडलों की यात्राएं

अंगोला

पशुचिकित्सा सेवा संस्थान, कृषि मंत्रालय, अंगोला अंगोला गणराज्य के तीन सदस्यीय तकनीकी दल ने दिनांक 4 से 9 मई, 2017 के दौरान भारत की यात्रा की। वर्ष 2017 में भैंस की मांस के निर्यात के लिए अंगोला गंणराज्य के कृषि मंत्रालय द्वारा 8 मांस स्थापनाओं को अनुमोदित किया गया है।

मलेशिया

डीवीएस मलेशिया की ओर से एक शिष्टमंडल 13 से 24 अगस्त 2017 के दौरान मांस प्रसंस्करण स्थापनाओं के निरीक्षण और लेखा परीक्षा के लिए भारत की यात्रा की। शिष्टमंडल ने पंजाब, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों में 9 मांस संयंत्रों का दौरा किया। यात्रा के परिणाम के रूप में, मलेशियाई प्राधिकारियों ने मलेशिया को भैंस के मांस के निर्यात के लिए 8 मांस स्थापनाएं अनुमोदित कीं।

वियतनाम

श्री डी के सिंह, अध्यक्ष, एपीडा की अध्यक्षता में एक शिष्टमंडल ने, जिसमें भारतीय निर्यातक और पशुपालन विभाग, बागवानी विभाग के प्रतिनिधि शामिल थे, दिनांक 27.11.17 से 30.11.17 के दौरान वियतनाम की यात्रा की। लगभग 8 मांस प्रसंस्करण स्थापनाएं, 4 सी फूड निर्यातक, और 2 मूंगफली निर्यातक इस शिष्टमंडल का हिस्सा थे। शिष्टमंडल के दौरे के समय ही, तियान गियान प्रांतों में एक कृषि सम्मेलन और मत्स्यपालन प्रजनन केंद्र (आरआईए2) और हनोई में दक्षिणी बागनानी अनुसंधान संस्थान की यात्राएं भी की गईं।

इंडोनेशिया

इंडोनेशिया ने वर्ष 2016 में भारत को बाजार प्रवेश की मंजूरी प्रदान की है और निर्यातकों की सूची वर्ष 2016 में 10 से बढ़कर 2017–18 में 29 हो चुकी है।

फिलीपीन

राष्ट्रीय मांस निरीक्षण सेवाएं और पशु अन्वेषण ब्यूरो से एक 12 सदस्यीय शिष्टमंडल ने 30 एकीकृत मांस प्रसंस्करण सुविधा केंद्रों के ऑडिट के लिए 20 नवम्बर 2017 से दिसम्बर 2017 तक भारत की यात्रा की। पॉच दलों वाले एक शिष्टमंडल ने पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों में मांस स्थापनाओं की यात्रा की। यात्रा का परिणाम प्रतीक्षित है।

द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मुद्दे – पशुधन क्षेत्र द्वारा रूस, दक्षिण अफ्रीका, यूएसए और कोरिया में बाजार प्रवेश संबंधी अनेक मुद्दों का सामना किया जा रहा है। वर्ष के दौरान इन देशों और आसियान देशों के वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें आयोजित की गईं। ओआईई के अनुसार एफएमडी नियंत्रण स्टेटस प्राप्त किए जाने के हमारे आग्रह पर विचार करने के लिए निरंतर बैठकें आयोजित की गईं। भारत में एफएमडी नियंत्रण पर सूचना की वजह से दो विशाल संभावनाओं वाले बाजारों, रूस और चीन में बाजार प्रवेश संबंधी मुद्दों का समाधान अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। इन दो देशों में बाजार प्रवेश प्राप्त न होने के कारण डीएएचडीएफ के सहयोग से एपीडा और वाणिज्य मंत्रालय में अनेक अवसरों पर निरंतर चर्चाएं की गईं जिनका परिणाम इन दो देशों में बाजार प्रवेश के रूप में नहीं हुआ।

8.5 जैविक क्षेत्र

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा अक्टूबर 2001 से विदेशी व्यापार विकास विनियमों (एफटीडीआर) के अंतर्गत निर्यात के लिए राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) का कार्यान्वयन किया जा रहा है। एनपीओपी के उद्देश्यों में जैविक उत्पादों के विकास और प्रमाणन, जैविक उत्पादों के लिए राष्ट्रीय मानक, प्रमाणीकरण निकायों का प्रत्यायन और राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप जैविक उत्पादों का प्रमाणीकरण और जैविक खेती और प्रसंस्करण के विकास को प्रोत्साहित किया जाना शामिल है।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा अक्टूबर 2001 से एनपीओपी के कार्यान्वयन के बाद भारत में जैविक कृषि में ठोस गति से वृद्धि हुई है। आज भारतीय जैविक उत्पाद वैश्विक बाजार में अपनी छाप छोड़ चुका है और नई ऊँचाइयां छूने को तैयार है।

8.5.1 जैविक प्रमाणीकरण के अंतर्गत क्षेत्रफल और उत्पादन

वर्ष 2017–18 के दौरान जैविक प्रमाणीकरण के अंतर्गत क्षेत्रफल और उत्पादन 3.56 मिलियन हैक्टेयर है जिसमें से 1.78 मिलियन हैक्टेयर कृषि योग्य क्षेत्र है और 1.78 मिलियन हैक्टेयर वन क्षेत्र है। कुल जैविक उत्पाद 1.70 मिलियन मीट्रिक टन था जिसमें वन्य एकत्रण (मिलियन मीट्रिक टन) भी शामिल है।

8.5.2 प्रमुख निर्यातित उत्पाद

वर्ष 2017–18 के दौरान, कृषि निर्यात की कुल मात्रा 458339 मीट्रिक टन थी जिससे रु.3453 करोड़ (515 मिलियन अमरीकी डॉलर) प्राप्त हुए। जिन प्रमुख देशों में जैविक उत्पादों का निर्यात किया गया उनमें यूएसए के बाद यूरोपीय संघ और कनाडा आते हैं।

जैविक उत्पादों के निर्यात के लिए अन्य गंतव्य स्विटजरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, मध्यपूर्वी देश और आसियान देश थे।

प्रमुख निर्यातित उत्पाद सोयाबीन, चीनी, बासमती चावल, चाय, दालें, मासले, अलसी के बीज और प्रसंस्कृत खाद्य (आम का गूदा और सोयाबीन का आटा) थे।

8.5.3 एनपीओपी में लागू किए गए नए मानक

एनपीओपी मानकों को पहली बार वर्ष 2001 में जैविक उत्पादों के निर्यातों के लिए अधिसूचित किया गया था जिसके दायरे में केवल फसलों और उनके प्रसंस्करण, लेबलिंग, भंडारण और परिवहन से संबंधित मानक आते हैं। चूंकि जैविक पशुधन और मत्स्यपालन उत्पादों की बहुत मांग है, इन उत्पादों के मानक एनपीओपी के सातवें संस्करण में लागू किए गए जिन्हें डीजीएफटी द्वारा 1 जून, 2015 से अधिसूचित किया गया।

वर्ष 2017 के दौरान, एनपीओपी मानकों के अंतर्गत जैविक मशरूम, जैविक समुद्री शैवाल, जलीय पौध और ग्रीनहाउस फसल उत्पादन की नई उत्पाद श्रेणियां भी शामिल की गईं। समूह प्रमाणन को शामिल करने के लिए पशुधन मानकों को संशोधित किया गया।

8.5.4 घरेलू मानकों की अधिसूचना

एपीडा और एफएसएसएआई के संयुक्त प्रयासों के अनुसरण में, जैविक उत्पादों के लिए घरेलू विनियम 9 नवम्बर, 2017 को घोषित किए गए जिसकी संक्रमण अवधि 6 महीने थी। घरेलू जैविक खाद्य विनियम में, द्विपक्षीय या बहुपक्षीय करार के अधीन निर्यात राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) पर आधारित होंगे।

8.5.5 एनपीओपी के अधीन नए प्रमाणन निकाय का प्रत्यायन

एनपीओपी के अधीन प्रतयायन के लिए तेलंगाना राज्य जैविक उत्पादन प्राधिकरण (टीएसओसीए) के लिए एक प्रत्यायन ऑडिट पूरा किया गया।

मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि बिना अनुरूपता वाले निकाय बंद हो चुके हैं। रिपोर्ट आगामी एनएबी के समक्ष निर्णय के लिए प्रस्तुत की जाएगी।

8.5.6 प्रत्यायित प्रमाणन निकायों की निगरानी और सर्विलांस

मानकों की अपेक्षाओं के अनुपालन को सत्यापित करने के लिए सभी 28 प्रत्यायित प्रमाणन निकायों के लिए सर्विलांस/नवीकरण ऑडिट किए गए (14 नवीकरण ऑडिट और 14 वार्षिक सर्विलांस)। 7 विभिन्न प्रमाणन निकायों द्वारा प्रमाणित 7 प्रचालकों के अघोषित निरीक्षण भी किए गए।

ईसी के विभिन्न सदस्यों द्वारा ताइवान के शिष्टमंडल के स्थलीय ऑडिट के दौरान 1 उत्पादक समूह, 2 प्रसंस्करणकर्ता, 2 विभिन्न प्रमाणन निकायों के 1 व्यापारी (ट्रेडर) के अतिरिक्त साक्ष्य ऑडिट किए गए।

8.5.7 यूएसडीए के साथ मान्यता करार का अनुपालन

यूएसडीए एनओपी द्वारा मार्च–अप्रैल 2016 में उनके स्थलीय ऑडिट के दौरान किए गए सभी अवलोकनों का सफलतापूर्वक परिणत किया गया। यूएसडीए ने दिनांक 12.9.2017 के अपने पत्र में अंतिम रिपोर्ट को बंद करते हुए, यूएस भारत मान्यता करार का समर्थन करने के एपीडा के प्रयासों की सराहना की।

8.5.8 कनाडा, कोरिया, ताइवान और जापान के साथ जैविक समतुल्यता के लिए वार्ताएं

कनाडा, ताइवान और दक्षिण कोरिया के साथ जैविक समतुल्यता प्राप्त करने के लिए की गई वार्ताओं ने सकारात्मक प्रगति दशाई है।

कनाडा

कनाडा जैविक व्यवस्था (सीओआर) के अधीन एक समरूपता सत्यापन निकाय (सीवीबी) के रूप में नामांकन के लिए एपीडा के आवेदन और तकनीकी डोजियर की प्रस्तुति।

ताइवान

ताइवान के एक पॉच सदस्यीय शिष्टमंडल ने जैविक उत्पादों के निर्यात के लिए भारत के साथ समतुल्यता के लिए 13 से 22 नवम्बर 2017 तक भारत की यात्रा की। एनपीओपी के साथ समतुल्यता के लिए ताइवान से प्राप्त आवेदन पर एपीडा के अवलोकन के संबंध में ऑडिट रिपोर्ट और प्रतिक्रिया उनकी ओर से प्रतीक्षित है।

दक्षिण कोरिया

जैविक उत्पादों के निर्यात के लिए भारत के साथ समुतल्यता के लिए दक्षिण कोरियाई शिष्टमंडल ने 9 से 13 अप्रैल 2018 के दौरान भारत की यात्रा की। ऑडिट रिपोर्ट की प्रतीक्षा है। दक्षिण कोरिया ने भी जैविक उत्पादों के निर्यात के लिए द्वि पक्षीय व्यापार करार के लिए भारत के एनपीओपी के साथ समतुल्यता के लिए आवेदन करने में रुचि दिखाई है।

8.5.9 क्षमता निर्माण/प्रशिक्षण/सम्पर्क कार्यक्रम

क्र.सं.	जागरूकता/प्रशिक्षण/सम्पर्क कार्यक्रम	स्थान	दिनांक	सहभागियों की संख्या
1.	जैविक उत्पादों के लिए बाजार सुगमीकरण पर सम्पर्क और क्रेता–विक्रेता सम्मेलन	इम्फाल, मणिपुर	17–18 अप्रैल 2017	250
2.	नेशनल ट्रेड फेयर – जैविक एंड मिलेट्स 2017	बंगलौर	28–30 अप्रैल 2017	65
3.	एनपीओपी पर क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम	दिल्ली	6–7 जुलाई 2017	21
4.	एनपीओपी पर क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम	दिल्ली	18–20 दिसम्बर 2017	25
5.	जैविक उत्पादों के लिए बाजार सुगमीकरण पर सम्पर्क कार्यक्रम	भुवनेश्वर, ओ. डिशा	1 फरवरीए 2018	65
6.	नई उत्पाद श्रेणियों पर मूल्यांकन समिति के सदस्यों के लिए प्रशिक्षण	दिल्ली	27–28 फरवरी 2018	5
7.	जैविक उत्पादों के लिए बाजार सुगमीकरण पर सम्पर्क और क्रेता–विक्रेता सम्मेलन	दीमापुर, नाग. लैंड	19 मार्चए 2018	60

8.6 अवसंरचना विकास

8.6.1 सामान्य अवसंरचना परियोजनाओं का निर्माण

वर्ष 2017–18 के दौरान एपीडा की सहायता से निम्नलिखित सात अवसंरचना परियोजनाएं पूरी की गई हैं।

1. **जलन्धर में शहद प्रसंस्करण इकाई की स्थापना**

   एपीडा ने जलन्धर में शहद प्रसंस्करण इकाई की स्थापना के लिए रु.800.00 लाख की सहायता प्रदान की है। कुल परियोजना लागत 1550.00 लाख रुपए है। इकाई की प्रसंस्करण क्षमता 3000 टीपीए है। गतिविधि पूरी हो चुकी है और परियोजना प्रचालनरत है।

2. **नादुवान में फलों व सब्जियों के लिए एकीकृत पैक हाउस का निर्माण**

   नादुवान, हिमाचल प्रदेश में फलों व सब्जियों के लिए एकीकृत पैक हाउस का काम पूरा हो चुका है जिसमें एपीडा ने एचपीएमसी, शिमला को 353.42 लाख रुपए की वित्तीय सहायता संस्वीकृत की है। कुल परियोजना लागत 390.84 लाख रुपए है। परियोजना में फलों और सब्जियों के लिए सॉर्टिंग ग्रेडिंग लाइन और 60 मीट्रिक टन की भण्डार क्षमता वाला 10 मीट्रिक टन प्री–कूलर विद्यमान है।

3. **आईसीडी दादरी, उत्तर प्रदेश में प्रशीतित पार्क सुविधा की स्थापना**

एपीडा ने आईसीडी दादरी, उत्तर प्रदेश में प्रशीतित पार्क सुविधा की स्थापना के लिए कॉनकोर को 1500.00 लाख रुपए की धनराशि की सहायता प्रदान की है। कुल परियोजना लागत 2043.06 लाख रुपए है। परियोजना में 840 मीट्रिक टन वाले फ्रीजर और 1160 मीट्रिक टन वाले चिलर हैं। यह कार्य पूरा हो चुका है और परियोजना प्रचालनरत है।

4. **भटवाड़ी में सी.ए. स्टोर का निर्माण**

एपीडा ने भटवाड़ी, जिला उत्तरकाशी, उत्तराखंड में सेबों के नियंत्रित वातावरण वाले भंडार गृह के निर्माणके लिए उत्तराखंड सरकार के बागवानी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग को 687.46 लाख रुपए की सहायता प्रदान की है। कुल परियोजना लागत 746.53 लाख रुपए है। सुविधा की भंडार क्षमता नियंत्रित वातावरण के लिए 1000 मीट्रिक टन प्रशीतन भंडार के लिए 200 मीट्रिक टन है। निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।

5. किन्नौर, हिमाचल प्रदेश में एकीकृत पैकहाउस का निर्माण

लम्बे समय से अपूर्ण यह परियोजना भी वर्ष 2017–18 के दौरान पूरी की गई। कुल परियोजना लागत 184.49 लाख रुपए है और एपीडा की संस्वीकृत सहायता 129.70 करोड़ रुपए है। एपीडा ने सामग्री संभलाई सुविधाओं के साथ–साथ सेब धुलाई की ग्रेडिंग लाइन के लिए और कुछ सिविल कार्यों को भी वित्तपोषित किया है। एपल लाइन की व्यस्ततम समय की संभलाई क्षमता प्रति घंटा 4 मीट्रिक टन है। परियोजना रेकॉन्ग पेओ में स्थित है जो अपने उच्च गुणवत्ता वाले सेबों के उत्पादन के लिए सुविख्यात है।

6. **गोरेगांव मुंबई में गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला का उन्नयन**

एपीडा ने महाराष्ट्र सरकार के पशुपालन विभाग को उनकी मांस और मांस उत्पादों के परीक्षण के लिए प्रयोगशाला के उन्नयन के लिए 550.00 लाख रुपए की सहायता प्रदान की थी। परियोजना वर्ष 2017–18 में पूर्ण हुई। परियोजना से क्षेत्र के मांस निर्यातक लाभान्वित होंगे।

7. **कोडीनार, गुजरात में मूंगफली के लिए कोल्ड स्टोरेज सुविधा का निर्माण**

एपीडा ने जीएसएएमबी को कोडीनार, गुजरात में मूंगफली के लिए कोल्ड स्टोरेज सुविधा के निर्माण के लिए 536.48 लाख रुपए की सहायता प्रदान की है। इस सुविधा के प्रयोक्ताओं को उत्पाद के खराब होने (एफ्लाटॉक्सिन) की घटनाओं से बचते हुए बेहतर गुणवत्ता वाली मूंगफली प्राप्त होगी। कोल्ड स्टोरेज की कुल क्षमता 2000 मीट्रिक टनहै।

8.6.2 एपीडा की सहायताप्राप्त अवसंरचना परियोजनाओं पर समीक्षा बैठक

विभिन्न राज्यों में एपीडा की सहायताप्राप्त सामान्य अवसंरचना परियोजनाओं की स्थिति और प्रगति की समीक्षा के लिए अप्रैल 2017 में राज्यों की सरकारी एजेंसियों के साथ एपीडा में एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में अनेक मुद्दों पर चर्चा करके इनका समाधान किया गया। एजेंसियों को शीघ्रातिशीघ्र परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रक्रिया को शीघ्र करने की सलाह दी गई।

8.6.3 महाराष्ट्र में अवसंरचना परियोजनाओं पर समीक्षा बैठक

महाराष्ट्र में एपीडा की सहायताप्राप्त परियोजनाओं की उपयोगिता और कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए महाराष्ट्र की राज्य एजेंसियों के साथ दिनांक 31.10.2017 को एपीडा में एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। राज्य की एजेंसियों जैसे एमएसएएमबी, एमएसडब्ल्यूसी और केंद्रीय एजेंसियों जैसे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, एअर इंडिया और कॉनकोर ने बैठक में भाग लिया। राज्य की एजेंसियों को यह सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया कि एपीडा की सहायताप्राप्त सुविधाओं का उपयोग व्यापक ओएंडएम करारों के साथ वर्ष भर होता रहे। कुछ एजेंसियों के समक्ष आने वाले कार्यान्वयन और प्रचालन से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा की गई और इनके समाधान के लिए विचार विमर्श किया गया।

.

8.7 गुणवत्ता विकास

8.7.1 प्रयोगशालाओं और एचएसीसीपी की कार्यान्वयन और प्रमाणन एजेंसियों की मान्यता

क. निर्यात के लिए एपीडा के अनुसूचित उत्पादों की सैम्पलिंग और विश्लेषण के लिए 2 नई मान्यताप्राप्त प्रयोगशालाओं सहित 40 प्रयोगशालाओं को मान्यता प्रदान की गई। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निजी क्षेत्र की 2 मान्यताप्राप्त प्रयोगशालाओं और एनआरसी ग्रेप्स पुणे में 1 राष्ट्रीय संदर्भ प्रयोगशाला को अत्यधिक सटीक विश्लेषण उपस्करों के साथ स्तरोन्नत किया गया।

ख. अवधि के दौरान एचएसीसीपी के प्रमाणन और कार्यान्वयन के लिए 6 प्रमाणन एजेंसियों और 5 कार्यान्वयन एजेंसियों को मान्यता प्रदान की गई।

8.7.2 निर्यातकों के लिए प्रक्रियाओं का विकास

क. निर्यात सीजन 2017–18 के लिए खाद्य सुरक्षा अनुपालनों को सुनिश्चित करने के लिए कृषि रसायनों अवशिष्टों के नियंत्रण के जरिए यूरोपीय संघ को ताजे टेबल अंगूरों के निर्यात से संबंधित प्रक्रियाएं।

ख. निर्यात सीजन 2017–18 के लिए खाद्य सुरक्षा अनुपालनों को सुनिश्चित करने के लिए कृषि रसायनों अवशिष्टों के नियंत्रण के जरिए अनार के निर्यात से संबंधित प्रक्रियाएं।

ग. निर्यातक देशों के खाद्य सुरक्षा अनुपालनों को सुनिश्चित करने के लिए भारत मूंगफली और मूंगफली उत्पादों के निर्यात से संबंधित प्रक्रियाएं।

घ. ईयू को भिंडी के निर्यात के लिए स्वास्थ्य प्रमाणपत्र जारी करने से संबंधित प्रक्रियाएं।

ङ. भारत से सब्जियों के निर्यात से संबंधित प्रक्रियाएं।

च. ईयू को पान के निर्यात के लिए स्वास्थ्य प्रमाणपत्र जारी करने से संबंधित प्रक्रियाएं।

8.7.3 मूंगफली प्रसंस्करण इकाइयों की मान्यता के लिए प्रक्रियाओं का विकासः

क. मूंगफली के निर्यात के लिए मूंगफली प्रसंस्करण इकाइयों को मान्यता प्रमाणपत्र प्रदान करने से संबंधित प्रक्रिया

ख. मूंगफली के निर्यात के लिए मूंगफली शैलिंग और/या ग्रेडिंग इकायों को मान्यता प्रमाणपत्र प्रदान करने से संबंधित प्रक्रिया

ग. मूंगफली के निर्यात के लिए गोदामों/भण्डार–गृहों को मान्यता प्रमाणपत्र प्रदान करने से संबंधित प्रक्रिया

8.7.4 मानकीकरण और हार्मनाइजेशनः

क. एपीडा ने अक्टूबर 2017 में कम्पाला, यूगांडा में आयोजित ताजे फलों और सब्जियों पर कोडेक्स समिति के 20वें सत्र में भारतीय शिष्टमंडल ने भागीदारी और योगदान दिया। समिति ने एपीडा द्वारा लागू किए गए बैंगन संबंधी मानक अंगीकृत किए।

ख. मार्च 2018 में नीदरलैंड में आयोजित 'कोडेक्स कमेटी ऑन कन्टेमिनेशन इन फूड' के 12वें सत्र में भारतीय शिष्टमंडल ने भागीदारी और योगदान दिया। समिति ने एपीडा द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर आम की चटनी में सीसे (लैड) की 0.4 एमजी/केजी एमएल मात्रा को अंगीकृत किया।

9. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भागीदारी

9.1 अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम

9.1.1 वर्ल्ड फूड फेयर मास्को, 11–14 सितम्बर, 2017

एपीडा ने 11 से 14 सितम्बर 2017 के दौरान मास्को, रूस में आयोजित वर्ल्ड फूड फेयर मास्को 2017 में 120 वर्गमीटर क्षेत्र लेकर भागीदारी की। श्री तरुण बजाज, महाप्रबंधक, एपीडा और श्री एन. रमेश, निदेशक, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने इस प्रदर्शनी में भागीदारी आयोजित की। 11 निर्यातकों ने भारतीय पैवीलियन में भागीदारी लेकर अपने उत्पाद प्रदर्शित किए जिनमें खाने के लिए तैयार उत्पाद, चावल, दालें, मसाले, प्रसंस्कृत खाद्य मदें, फल और सब्जियां, जैविक चाय, ओलिओरेजिन और अनिवार्य तेल, प्रशीतित फल और सब्जियां, निर्जलित मदें, दुग्ध उत्पाद आदि शामिल थे।

9.1.2 अनुगा, कोलोन, जर्मनी 7–11 अक्टूबर, 2017

एपीडा ने 7–11 अक्टूबर के दौरान कोलोन, जर्मनी में अनुगा 2017 में 504 वर्गमीटर का पैवीलियन लेकर भागीदारी की। श्री सुनील कुमार, निदेशक और श्रीमती विनीता सुधांशु, डीजीएम, एपीडा ने इस शो में सहभागिता आयोजित की। भारतीय पैवीलियन में 33 निर्यातकों ने भाग लेकर अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया, जैसे बासमती चावल, मूंगफली और मूंगफली का मक्खन, कन्फेशनरी की मदें, प्रसंस्कृत खाद्य मदें और निर्जलित उत्पाद। प्रदर्शनी के दौरान शाकाहारी और मांसाहारी बिरयानी और भारतीय वाइन की वैट सैम्पलिंग आयोजित की गई। इस वर्ष भारत अनुगा, 2017 के दौरान 'सहभागी देश' था।

9.1.3 फूड एंड होटल, चीन, 14–16 नवम्बर, 2017

एपीडा ने 14 से 16 नवम्बर, 2017 के दौरान फूड एंड होटल, चीन प्रदर्शनी में 54 वर्गमीटर का क्षेत्र लेकर भागीदारी की। श्री यू.के. वत्स, महाप्रबंधक और श्री सी.एस. डुडेजा, लेखाकार, एपीडा ने प्रदर्शनी में सहभागिता आयोजित की। कुल 9 कम्पनियों ने भाग लेकर अपने उत्पाद प्रदर्शित किया जिनमें चावल, प्रशीतित खाद्य उत्पाद, ताजे फल, प्रसंस्कृत खाद्य, आरटीई उत्पाद, तेलबीज, मादक पेय और स्नैक्स शामिल थे। श्री अनिल कुमार राय, शंघाई में भारत के कंसुलेट जनरल ने 14 नवम्बर 2017 को भारतीय स्टाल का उद्घाटन किया। श्री राय ने चीन में भारतीय खाद्य उत्पादों की उपस्थिति को बढ़ाने के संबंध में निर्यातकों का मार्गदर्शन किया। आयोजन के दौरान आरटीई और पेय पदार्थों की वैट सैम्पलिंग अत्यधिक सफल रही।

9.1.4 सउदी एग्रो फूड, रियाद, सउदी अरब, 8 – 11 अक्टूबरए 2017

एपीडा ने 8 से 11 अक्टूबर, 2017 के दौरान सउदी एग्रो फूड, रियाद, सउदी अरब में 200 वर्गमीटर क्षेत्र लेकर भागीदारी की। श्री टी. सुधाकर, डीजीएम एपीडा ने प्रदर्शनी में भागीदारी आयोजित की। कुल 5 कम्पनियों ने भारतीय पैवीलियन में भागीदारी करके अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया।

9.1.5 फ्रूट लोजिस्टिका, 7 – 9 फरवरी, 2018 बर्लिन, जर्मनी

एपीडा ने 7 से 9 फरवरी, 2018 को फ्रूट लोजिस्टिका, 2018, बर्लिन, जर्मनी में 202 वर्गमीटर क्षेत्र लेकर भागीदारी की। श्री सुधांशु, डीजीएम और श्री एन.सी. लोहाकरे, एजीएम, एपीडा ने प्रदर्शनी में भागीदारी आयोजित की। कुल 18 कम्पनियों ने भारतीय पैवीलियन में भागीदारी करके अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया।

9.1.6 बायोफैक न्यूरेम्बर्ग, जर्मनी, 14 – 17 फरवरी, 2018

एपीडा ने 14–17 फरवरी के दौरान न्यूरेम्बर्ग, जर्मनी में बायोफैक 2017 में 598 वर्गमीटर का क्षेत्र लेकर भागीदारी की। अध्यक्ष, एपीडा ने आयोजन में भागीदारी की और श्रीमती समिधा गुप्ता, एजीएम ने प्रदर्शनी में भागीदारी आयोजित की। 41 निर्यातकों ने भारतीय पैवीलियन में भागीदारी करके अपने जैविक उत्पादों का प्रदर्शन किया।

9.1.7 गल्फफूड 2018, दुबई, यूएई, 18–22 फरवरी, 2018

एपीडा ने 18–22 फरवरी, 2018 के दौरान दुबई, यूएई में 768 वर्गमीटर क्षेत्र लेकर भागीदारी की। श्री एस.एस. नैय्यर, जीएम और सुश्री रेखा मेहता, एजीएम, एपीडा ने प्रदर्शनी में भागीदारी आयोजित की। 69 निर्यातकों ने भारतीय पैवीलियन में हिस्सा लेकर अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया जैसे बासमती चावल, गैर–बासमती चावल, प्रसंस्कृत खाद्य मदें, प्रशीतित खाद्य मदें, खाने के लिए तैयार मदें, मांस और मांस उत्पादों आदि। आयोजन के दौरान शाकाहारी और मांसाहारी बिरयानी की वैट सैम्पलिंग की गई।

9.1.8 फूडेक्स जापान, 6 – 9 मार्च, 2018

एपीडा ने 6 से 9 मार्च, 2018 को टोक्यो, जापान में आयोजित फूडेक्स जापान में 102 वर्गमीटर क्षेत्र लेकर हिस्सेदारी की। श्री प्रशांत वाघमारे, एजीएम और सुश्री रजनी अरोड़ा, एजीएम, एपीडा ने प्रदर्शनी में भागीदारी की। 10 निर्यातकों ने भारतीय पैवीलियन में भागीदारी करके अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया, जैसे बासमती चावल, प्रसंस्कृत खाद्य, खाने को तैयार उत्पाद, मूंगफली, निर्जलित उत्पाद, जैविक उत्पाद, प्रशीतित खाद्य आदि।

9.1.9 नेचुरल एक्सपो वैस्ट, एनाहीम, यूएसए, 8–10 मार्च, 2018

एपीडा ने 8–10 मार्च, 2018 के दौरान नेचुरल एक्सपो वैस्ट, 2018 में 150 वर्गमीटर क्षेत्र लेकर भागीदारी की। सुश्री शास्वती बोस, डीजीएम और सुश्री सिमी उन्नीकृष्णन, कनिष्ठ हिंदी अनुवादक, एपीडा ने प्रदर्शनी में भागीदारी आयोजित की। 13 निर्यातकों ने भारतीय पैवीलियन में भागीदारी करके अपने जैविक उत्पादों की श्रृंखला का प्रदर्शन किया।

9.2 संवर्धन कार्यक्रम

9.2.1 आम संवर्धन कार्यक्रम, दक्षिण कोरिया, 25–27 मई, 2017

एपीडा ने 25 से 27 मई, 2017 तक दक्षिण कोरिया में सियोल और बुसान में एक आम संवर्धन कार्यक्रम का आयोजन किया। 8 निर्यातकों ने भागीदारी करके भारत से आमों की किस्मों का प्रचार किया। शिष्टमंडल का नेतृत्व अध्यक्ष, एपीडा ने किया और कार्यक्रम का संयोजन डॉ. सी बी सिंह, एजीएम, एपीडा द्वारा किया गया। संवर्धन कार्यक्रम के सफल आयोजन का परिणाम सीजन 2017 के दौरान दक्षिण कोरिया में 66 मीट्रिक टन आमों के निर्यात के रूप में हुआ।

9.2.2 म्यांनमार में 24–25 फरवरी, 2018 को उत्तर पूर्वी के उत्पादों के लिए विशिष्ट संवर्धन कार्यक्रम

एपीडा ने म्यामार स्थित भारतीय दूतावास और इंडिया म्यामार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सहयोग से 24.02.2018 को पूर्वोत्तर के विभिन्न कृषि उत्पादों के एक दिवसीय जेनरिक उत्पाद संवर्धन कार्यक्रम और भारतीय कृषि उत्पादों पर क्रेता–विक्रेता सम्मेलन का आयोजन किया। कार्यक्रम का उद्घाटन माननीय राजदूत, भारतीय दूतावास, म्यामार द्वारा किया गया। भारतीय खाद्य उत्पादों के खरीदारों के लिए और भारतीय शिष्टमंडल के साथ बी2बी बैठक के लिए भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। श्री आर.के. मंडल, डीजीएम, एपीडा ने कार्यक्रम में एपीडा का प्रतिनिधित्व किया।

9.2.3 विशिष्ट उत्तर पूर्वी उत्पाद का बाजार संवर्धन कार्यक्रम, ढाका, बांग्लादेश, 4–5 मार्च, 2018

एपीडा ने एचसीआई, ढाका के सहयोग और फेडरेशन ऑफ बांग्लादेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एफबीसीसीआई) और इंडिया बांग्लादेश चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (आईबीसीसीआई) के समर्थन से 4 से 5 मार्च, 2018 को दो–दिवसीय बाजार संवर्धन कार्यक्रम का आयोजन किया जिसका मुख्य उद्देश्य भारतीय निर्यातकों के व्यापार हितों को बढ़ावा देने के लिए मंच प्रदान कराना था। आयोजन का उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में श्री एम.ए. मन्नन, माननीय राज्य मंत्री, वित्त मंत्रालय, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश द्वारा किया गया। पूर्वोत्तर के निर्यातकों समेत कुल 14 निर्यातकों ने आयोजन में भागीदारी की और अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया। सुश्री सुनीता राय, एजीएम और श्री सुरेंद्र पाल, एजीएम, एपीडा ने कार्यक्रम का संयोजन किया। बांग्लादेश (ढाका) में क्रेता–विक्रेता सम्मेलन पर प्रतिक्रिया बहुत अच्छी रही और बीएसएम के दौरान बड़ी संख्या में खरीदारों ने भाग लिया। सभी सहभागी निर्यातकों को अनेक व्यापार संबंधी पूछताछ और क्रयादेश प्राप्त हुए।

9.3 राष्ट्रीय कार्यक्रम

वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान, एपीडा ने कृषि उत्पादों के लिए देश भर में निम्नलिखित कार्यक्रमों में भागीदारी/आयोजन/समर्थन करने के साथ–साथ सफल सहभागिता के लिए अधिकारियों को नियुक्त किया:

9.3.1 पूर्वोत्तर क्षेत्र

1. एसोचैम द्वारा दिनांक 15–17 दिसम्बर, 2017 के दौरान ईजेडसीसी, साल्ट लेक, कोलकाता में आयोजित ''एशियन नेचुरल एंड जैविक शो 2018'' के बाद एक अंतर्राष्ट्रीय क्रेता–विक्रेता सम्मेलन का आयोजन किया गया जिनका मुख्य फोकस सिंगापुर, थाईलेंड, मलेशिया, वियतनाम, फिलीपीन और म्यामार के बाजरों पर रहा।
2. गुवाटी में 4 से 6 जुलाई 2017 तक 'वाइब्रेंट नॉर्थईस्ट 2017' का आयोजन किया गया। निर्यातकों को एपीडा के स्टाल में अपने उत्पादों का प्रदर्शन करने का अवसर प्रदान किया गया।
3. डिब्रूगढ़, असम में 5 से 8 जनवरी 2018 तक 'असम–एग्री हॉर्टी शो' का आयोजन किया गया। प्रदर्शकों ने एपीडा के स्टाल पर अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया।
4. असम सरकार द्वारा गुवाहाटी में 3 से 4 फरवरी 2018 तक 'एडवांटेज असम' सम्मेलन का आयोजन किया गया। माननीय प्रधानमंत्री ने इस दो दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। अध्यक्ष, एपीडा ने जैविक सत्र सहित कृषि, खाद्य प्रसंस्करण पर तकनीकी सत्र में विशेष भाषण दिया। एपीडा के सदस्य निर्यातकों ने पूर्वोत्तर से ताजा फलों और सब्जियों में गहरी रुचि दर्शाई।
5. फिक्की द्वारा 22 जुलाई, 2017 को अगरतला, त्रिपुरा में ''उभरते अवसरः त्रिपुरा में कृषि खाद्य प्रसंस्करण'' का आयोजन किया गया।
6. एसोचैम द्वारा 17 जुलाई, 2017 को ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश और 10 अगस्त, 2017 को मेदजीफेमा, नागालैंड में एमओएफपीआई, एनईसी और एपीडा द्वारा प्रायोजित ''खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के स्टार्ट अप और एसएमई को सरकारी योजनाओं और बाजारों से जोड़ना'' विषय पर सम्मेलन आयोजित किए गए।
7. पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा गुवाहाटी, असम में 15 सितम्बर, 2017 को कोल्ड चेन पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।
8. पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा गुवाहाटी, असम में 31 अक्टूबर, 2017 को ''कृषकों की आय में वृद्धि किया जानाः पशुपालन और जैविक सूअर और मत्स्य उत्पादों के प्रसंस्करण में अवसर – निर्यातकों के लिए संभावना

– फोकस नॉर्थ ईस्ट'' का आयोजन।

9. नॉर्थ ईस्ट स्पेस एप्लीकेशन सेंटर (एनईएसएसी) द्वारा शिलांग, मेघालय में 22 नवम्बर, 2017 को पूर्वोत्तर क्षेत्र में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में भू–स्थानिक प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग पर कार्यशाला का आयोजन।
10. मसाला बोर्ड द्वारा गुवाहाटी, असम में 21 और 22 फरवरी 2018 को मसालों पर राष्ट्रीय सेमीनार के साथ साथ क्रेता–विक्रेता सम्मेलन (बीएसएम) का अयोजन किया गया।
11. एनईआरएएमएसी द्वारा गुवाहाटी, असम में 7 फरवरी, 2018 को खाद्य प्रसंस्करण कार्यशाला का आयोजन।
12. ईटानगर, अरुणालच प्रदेश में 5–6 फरवरी, 2018 को पुनरुत्थानशील कृषि के लिए संभावित योजना पर राज्य कॉन्कलेव (प्री–कॉन्कलेव) का आयोजन।
13. एनईसी और आईसीसी द्वारा 20 फरवरी 2018 को शिलांग, मेघालय में बागवानी और कृषि पर परामर्श बैठक का आयोजन।
14. एमओएफपीआई द्वारा 14 मार्च 2018 को गुवाहाटी, असम में पूर्वोत्तर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग सेमीनार का आयोजन।
15. दिनांक 23 मार्च 2018 को गुवाहाटी, असम में सीआईआई–खाद्य प्रसंस्करण कार्यशाला का आयोजन।
16. भारतीय गुणवत्ता परिषद और पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा 27 नवम्बर, 2017 को गुवाहाटी, असम में अंतर्राष्ट्रीय समतुल्यता प्रमाणन और प्रसंस्कृत खाद्य निर्माताओं और निर्यातकों के लिए इसके लाभों पर औद्योगिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन।
17. एसएफएसी द्वारा 27 फरवरी 2018 को गुवाहाटी, असम में चिकित्सकीय और सुगंधित पौधों पर राष्ट्रीय सेमीनार का आयोजन किया गया।
18. उद्योग और वाणिज्य विभाग, असम सरकार द्वारा 12 मई 2017 को गुवाहाटी, असम में यूरेशियन इकोनॉनिक यूनियन (ईएईयू) और भारत के बीच स्वतंत्र व्यापार करार (एफटीए) पर संयुक्त व्यवहार्यता अध्ययन के संबंध में स्टेकधारकों की परामर्श बैठक का आयोजना।
19. उद्योग विभाग द्वारा 15 जून 2017 को गुवाहाटी, असम में औद्योगिक और व्यापारिक सम्मेलन का आयोजन किया गया।
20. मेटल्स एंड मिनरल्स ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एमएमटीसी) द्वारा दिनांक 15 मई 2017 को गुवाहाटी, असम में कृषि और बागवानी उत्पादों का विपणन और प्रोत्साहन
21. मसाला बोर्ड द्वारा 24 अप्रैल 2017 को गुवाहाटी, असम में आयोजित मसाला कृषक उत्पादक कम्पनियों (एसएफपीसी) के मूल्य संवर्धन का प्रोत्साहन।
22. दिनांक 10 अगस्त 2017 को गुवाहाटी, असम में 'डूइंग बिजनेस विद इटली' – श्री डेमियानो फ्रेन्कोविग, कन्सुलेट जनरल, कन्सुलेट ऑफ इटली के साथ परामर्श बैठक
23. भारतीय उद्यमिता संस्थान (आईआईई) और मेघालय उद्यमिता संस्थान द्वारा गुवाहाटी, असम में नॉर्थ ईस्ट जैकफ्रूट फेस्टीवल 2017 का आयोजन
24. आईसीसी द्वारा 6 मार्च 2018 को गुवाहाटी, असम में खाद्य प्रसंस्करण कार्यशाला का आयोजन।
25. कृषि चिकित्सालय (एग्रीक्लिनिक) और कृषि व्यापार केंद्र के अंतर्गत कृषि उद्यमिता (एग्रीप्रेन्योरशिप) विकास कार्यक्रम भारतीय कृषि व्यापार पेशेवर सोसायटी (आईएसएपी) द्वारा 'मैनेज', हैदराबाद के सहयोग से 7 नवम्बर, 2017 में गुवाहाटी, असम में आयोजित किया गया।

9.3.2 पश्चिमी क्षेत्र

1. भारत के आम की विभिन्न किस्मों को बढ़ावा देने के लिए एपीडा द्वारा मई, 2017 के दौरान एक रिवर्स क्रेता विक्रेता सम्मेलन (आरबीएसएम) का आयोजन किया गया जिसमें ईरान, चीन, ऑस्ट्रेलिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जापान और मॉरीशस जैसे विभिन्न देशों से निर्यातकों ने भाग लिया। आरबीएसएम के बाद कटाई–पश्चात शोधन सुविधा केंद्रों का स्थल दौरा किया गया। 10 राज्यों ने बीएसएम में भागीदारी की और अपने अपने राज्यों में उगाई जाने वाली आमों की किस्मों का प्रदर्शन किया। आयातकों की ओर से बहुत अच्छी प्रतिक्रिया प्राप्त हुई।
2. दिनांक 21–22 सितम्बर, 2017 को कृषि उद्योग संगम 2017, नासिक
3. दिनांक 11–14 अक्टूबर, 2017 को 'आहार', इंटरनेशनल फूड एंड हॉस्पिटेलिटी फेयर 2017, आईटीपीओ, मुंबई।
4. दिनांक 10–13 नवम्बर, 2017 को नागपुर में 9वीं एग्रो विजन प्रदर्शनी
5. दिनांक को 23–27 नवम्बर, 2017 को नासिक में कृषिथॉन 2017
6. दिनांक 6–10–2018 को ग्लोबल कोंकण फेस्टिवल 2018 एक्जीबिशन, सिडको एक्जीबिशन सेंटर, वाशी, नवी

मुंबई

7. दिनांक 11–15 फरवरी, 2018 के दौरान इस्लामपुर में आयोजित कृषि मेला प्रदर्शनी
8. दिनांक 23–25 फरवरी 2018 को पुणे में फूड टेक पुणे 2018 प्रदर्शनी
9. दिनांक 11 फरवरी 2017 दृ एसोचैम द्वारा 7 सितम्बर, 2017 को अहमदाबाद में आयोजित खाद्य नवप्रयोग उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह (फूड इनोवेशन एक्सीलेंस एवार्ड्स) के साथ खाद्य प्रसंस्करण कृषि प्रसंस्करण कृषि व्यापार और दुग्ध उत्पादों पर कार्यक्रम
10. सूखे फूलों के निर्यात और उद्योग पर जागरूकता और प्रोत्साहन के लिए गुजरात में 10 जून, 2017 को राष्ट्रीय सेमीनार

9.3.3 उत्तरी और केंद्रीय क्षेत्र

1. आईआईवीआर, वाराणसी द्वारा दिनांक 9 से 11 दिसम्बर, 2017 को आयोजित सब्जी निर्यात पर राष्ट्रीय सम्मेलन। सम्मेलन के दौरान, सब्जियों के निर्यात की संभावना पर एक प्रस्तुति दी गई।
2. एपीडा ने दिनांक 12 से 14 दिसम्बर, 2017 को लखनऊ (उत्तर प्रदेश) में आयोजित 5वें इंटरनेशनल एग्रीहॉर्टी टेक 2017 में पैवीलियन लगाकर अपनी सहभागिता आयोजित की।
3. एपीडा ने वाणिज्य विभाग (डीओसी) और भारतीय व्यापार संवर्धन परिषद् (टीपीसीआई) द्वारा 18 से 19 जनवरी, 2018 को ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में संयुक्त रूप से आयोजित 'इंडस फूड 2018 – ग्लोबल फूड एंड बीवरेज शो ऑफ इंडिया' में पैवीलियन लगाकर सहभागिता आयोजित की। लगभग 400 सहभागियों ने आयोजन में हिस्सा लिया। एपीडा के अनुसूचित उत्पादों की श्रृंखला अर्थात ताजे फल और सब्जियां, प्रसंस्कृत खाद्य, दुग्ध उत्पाद, अनाज और जैविक उत्पाद एपीडा के पेवीलियन में प्रदर्शित किए गए।
4. एपीडा ने आईसीएआर और एमओएएंडएफडब्ल्यू द्वारा दिनांक 16 से 19 मार्च, 2018 को आईएआरआई, नई दिल्ली में आयोजित कृषि उन्नति मेला 2018 में पैवीलियन लगाकर अपनी सहभागिता आयोजित की। राज्य सरकार, आईसीएआर, एमओएएंडएफडब्ल्यू, सहकारी संस्थाओं, निजी संगठनों (कृषि से लेकर संबद्ध क्षेत्रों तक), एसएचजी आदि ने इस आयोजन में भाग लिया। एपीडा के अनुसूचित उत्पादों की श्रृंखला अर्थात जैविक उत्पाद और ताजे फल एपीडा के पेवीलियन में प्रदर्शित किए गए।
5. एपीडा ने दिनांक 9 से 11 फरवरी, 2018 को इंदौर (मध्य प्रदेश) में आयोजित 5वें इंटरनेशनल फूड एंड पैक टेक एक्सपो में पेवीलियन लगाकर अपनी सहभागिता आयोजित की।
6. एपीडा ने पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स और राज्य कृषि विभाग (बिहार सरकार) द्वारा 9 से 11 मार्च, 2018 को पटना (बिहार) में संयुक्त रूप से आयोजित इंटरनेशनल एग्री टेक फेयर 2018 में पेवीलियन लगाकर अपनी सहभागिता आयोजित की।
7. एपीडा ने आईसीएआर–आईआईवीआर, वाराणसी और राज्य कृषि विभाग (उत्तर प्रदेश सरकार) द्वारा 23 से 25 फरवरी, 2018 को वाराणसी (उत्तर प्रदेश) में संयुक्त रूप से आयोजित 'नॉर्थ इंडिया रीजनल फार्मर फेयर 2018' में पेवीलियन लगाकर अपनी सहभागिता आयोजित की।
8. एपीडा ने दिनांक 24 से 26 मार्च, 2018 को रोहतक (हरियाणा) में आयोजित तृतीय 'एग्री लीडरशिप सम्मिट 2018' में अपनी सहभागिता आयोजित की।
9. एपीडा ने प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित 'आहार 2018' में हॉल नं. 12ए में 1551 वर्गमीटर क्षेत्र लेकर अपनी सहभागिता आयोजित की। इस वर्ष एपीडा के पेवीलियन का विषय 'भौगोलिक संकेतक उत्पाद' रहा। माननीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, श्री सुरेश प्रभु द्वारा भौगोलिक संकेतक उत्पादों पर एक पुस्तक का विमोचन किया गया। 50 से अधिक निर्यातकों ने एपीडा के बैनर तले भागीदारी की और उत्पादों की व्यापक श्रृंखला का प्रदर्शन किया जिनमें प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद, प्रशीतित उत्पाद, निर्जलित उत्पाद, जैविक उत्पाद, खाने को तैयार उत्पाद आदि शामिल थे। एपीडा पेवीलियन को सर्वश्रेष्ठ पेवीलियन के लिए स्वर्ण ट्रॉफी प्रदान की गई।
10. एपीडा पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा नई दिल्ली में 20 दिसम्बर, 2017 को आयोजित 'फार्म 2 फोर्क फिफ्थ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस' और 'प्रोड्यूसिंग फूड स्मार्टली, सेफ, हाइजिनिक एंड न्यूट्रीशस फूड' विषय पर प्रदर्शनी में भाग लिया।
11. ऑल इंडिया फूड प्रोसेसर्स एसोशिएसन द्वारा दिनांक 19 जनवरी, 2018 को जम्मू में आयोजित 'जैविक खाद्य के उत्पादन और विपणन में चुनौतियां और अवसर' विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला।
12. एपीडा ने दिनांक 12 से 14 दिसम्बर, 2017 को लखनऊ, उत्तर प्रदेश में 5वें 'इंटरनेशनल एग्री हॉर्टी टेक' में पेवीलियन लगाकर अपनी सहभागिता आयोजित की।
13. दिनांक 12–13 दिसम्बर, 2017 को कानपुर में 'बदलती जलवायु स्थितियों में धारणीय कृषि और जीविका सुरक्षा के लिए जैविक खेती।

14. दिनांक 9–11 नवम्बर 2017 को ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश, भारत में एक विशाल कार्यक्रम 19वीं 'जैविक वर्ल्ड कॉग्रेस 2017' का आयोजन किया गया जिसमें एपीडा प्रमुख भागीदार था। एपीडा ने प्रदर्शनी, बीएसएम और विपणन तथा गुणवत्ता आश्वस्ति कॉन्फ्रेंस सहित पूरे आयोजन में सक्रियतापूर्वक भागीदारी की।

19वीं 'जैविक वर्ल्ड कॉग्रेस 2017' में भागीदारी का ब्यौरा निम्नवत है:

क. कुल प्रतिनिधि और आगंतुक 9534

ख. पंजीकृत प्रतिनिधि 2479

ग. आगंतुक (प्रतिनिधियों से भिन्न) 7055 ;कारोबारियों, राज्यों के प्रतिनिधियों, कृषकों सहित

घ. विदेशी खरीदार 37

एपीडा ने एक पुस्तक ''प्रोसीडिंग्स ऑफ मार्केटिंग एंड क्वालिटी एश्योरेंस कॉन्फ्रेंस'' प्रकाशित की जो 250 पृष्ठों की एक विस्तृत पुस्तक है जिसमें भारत में जैविक खेती और प्रमाणन के आंकड़े निहित हैं।

15. एपीडा ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में 3–5 नवम्बर, 2017 को आयोजित वर्ल्ड फूड इंडिया में अपनी सहभागिता आयोजित की।

16. एपीडा ने सीआईआई द्वारा ग्रेटर नोएडा में 17–20 अप्रैल, 2017 को सेवाओं पर वैश्विक प्रदर्शनी (जीईएस) में अपनी सहभागिता आयोजित की।

9.3.4 दक्षिणी क्षेत्र

1. बेंगलुरु में 28 से 30 अप्रैल 2017 को जैविक उत्पादों और ज्वार–बाजरे पर राष्ट्रीय व्यापार मेला: कृषि विभाग, कर्नाटक सरकार ने एपीडा और अन्य संगठनों के सहयोग से पैलेस ग्राउंड्स, क्षेत्रीय कार्यालय बेंगलुरु में 28 से 30 अप्रैल 2017 को जैविक उत्पादों और ज्वार–बाजरे पर राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन किया। कार्यक्रम का उद्घाटन श्री कृष्णा बयरे गौड़ा, माननीय कृषि मंत्री, कर्नाटक सरकार द्वारा किया गया और इसका संचालन विभिन्न राज्य और केंद्रीय मंत्रियों द्वारा किया गया। अध्यक्ष, एपीडा ने उद्घाटन समारोह में भाग लिया और 28.04.2017 को क्रेता–विक्रेता सम्मेलन का उद्घाटन भी किया।

2. आईसीएआर आई.आई.एच.आर. द्वारा 18 और 19 मई, 2017 को आयोजित 'भारत में आम उत्पादकों की आय को दुगुना करने पर राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस'रू भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान ने अपने संस्थान में मई 2017 में 18 और 19 मई, 2017 को 'भारत में आम उत्पादकों की आय को दुगुना करने पर दो दिवसीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस' का आयोजन किया। क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलुरु को आयोजन में चर्चा के लिए पेनल सदस्य के रूप में आमंत्रित किया गया। चुने हुए आम उत्पादकों, प्रसंस्करणकर्ताओं, सरकारी अधिकारियों ने सम्मेलन में भाग लिया।

3. बेंगलुरु में 28 से 30 अगस्त 2017 को 9वां 'इंडिया फूडेक्स एंड एग्री टेक इंडिया 2017: क्षेत्रीय कार्यालय बेंगलुरु ने दिनांक 28 से 30 अगस्त 2017 को बेंगलुरु इंटरनेशनल एक्जीबिशन सेंटर में 9वें 'इंडिया फूडेक्स एंड एग्री टेक इंडिया 2017' का समन्वय किया और इसमें भाग लिया।

एपीडा के लिए निःशुल्क आधार पर एक 9 वर्गमीटर का स्टाल उपलब्ध कराया गया, क्योंकि एपीडा ने आयोजन के लिए लोगो संबंधी सहायता प्रदान की थी। महामहिम श्री वजुभाई रुदाभाई वाला, राज्यपाल, कर्नाटक ने आयोजन का उद्घाटन किया गया और माननीय विधि और संसदीय कार्य, विधायी और लघु सिंचाई मंत्री श्री टी.बी. जयचंद्र सम्मानित अतिथि थे।

4. अध्यक्ष, एपीडा द्वारा आई.आई.एच.आर, बेंगलुरु में 5 सितम्बर 2017 को अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में भागीदारी: भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थाननने 4 से 8 सितम्बर 2017 को बागवानी, प्राथमिकताएं और परिपाटियां विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया। आयोजकों के आमंत्रण पर, अध्यक्ष, एपीडा ने दिनांक 05.09.2017 को ''बागवानी फसलों का निर्यातः चुनौतियां और रणनीतियां'' विषय पर एक पत्र प्रस्तुत किया।

5. त्रिशूर में 27 से 31 दिसम्बर, 2017 को आयोजित मूल्य संवर्धन पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला और प्रदर्शनी (वीएआईजीए): क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलुरु ने केरल सरकार द्वारा आयोजित प्रसंस्कृत मूल्य वर्धित उत्पादों पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला और प्रदर्शनी – (वीएआईजीए) में एपीडा का प्रतिनिधित्व किया और अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला के दौरान दो प्रस्तुतियां दीं। पहली प्रस्तुति 27.12.2017 को 'कृषि निर्यात प्रोत्साहन में एपीडा की भूमिका' विषय पर, और दूसरी प्रस्तुति 28.12.2017 को 'केले के निर्यात के लिए अवसर' विषय पर दी गई।

6. जैविक एंड मिलेट्स 2018–19 से 21 जनवरी 2018 को अंतराष्ट्रीय व्यापार मेला जैविक एंड मिलेट्स 2018 – अंतराष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन 19 से 21 जनवरी 2018 तक किया गया। अंतराष्ट्रीय व्यापार मेले में प्रदर्शनी, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भी आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन माननीय मुख्य मंत्री, कर्नाटक सरकार श्री सिद्धारमैया द्वारा किया गया। श्री कृष्णा बाइरे गौड़ा, माननीय कृषि मंत्री, कर्नाटक सरकार ने आयोजन की महत्ता के बारे में व्याख्यान दिया। एपीडा ने 18 वर्गमीटर की स्टाल लगाकर प्रदर्शनी में भाग लिया। स्टाल को पोस्टरों और सैम्पलों से सजाया गया। एपीडा की स्टाल पर 8 कम्पनियों के सैम्पल और

ब्रोशर प्रदर्शित किए गए। अध्यक्ष, एपीडा ने 20.01.2018 को आयोजित उपभोक्ता सम्पर्क और जैविक पुरस्कार समारोह में भाग लिया। उन्होंने जैविक उत्पादों के निर्यात पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में एक सत्र की अध्यक्षता की और क्रेता विक्रेता सम्मेलन की सहभागियों को संबोधित किया। उन्होंने एपीडा की स्टाल का दौरा किया और एपीडा के स्टाल पर प्रदर्शनी लगाने वाले निर्यातकों के साथ बातचीत की। दिनांक 20.01.2018 को, डॉ. तरुण बजाज, महाप्रबंधक, एपीडा ने 'भारत में जैविक कृषि और निर्यात परिदृश्य'' विषय पर एक प्रस्तुति दी।

7. दिनांक 16.03.2018 को त्रिवेंद्रम में निर्यातकों के 2017–2020 के लिए एपीडा की नई एफएएस योजनाओं के प्रति संसेटाइजेशन पर सेमीनार : निर्यातकों को 2017–2020 की अवधि के लिए एपीडा की नई एफएएस योजनाओं के प्रति जागरूक बनाने के उद्देश्य से दिनांक 16 मार्च 2018 को मस्कोट होटल, त्रिवेंद्रम में एक सेमीनार का आयोजन किया गया। एडवोकेट सुनील कुमार, माननीय कृषि मंत्री, केरल सरकार ने सेमीनार का उद्घाटन किया और उद्घाटन भाषण दिया। श्री टीका राम मीणा, आईएएस, सरकार के प्रधान सचिव और एपीसी, अध्यक्ष एपीडा, कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों, एसएचएम, एसएएमईटीआई, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नाबार्ड, सीमाशुल्क, जेडीजीएफटी, केएसआईई, केएसआईआईडीसी, वीएफपीसीके, एनपीपीओ, उद्योग और वाणिज्य निदेशालय के अधिकारी सेमीनार के दौरान उपस्थित थे। लगभग 100 निर्यातकों ने सेमीनार में भागीदारी की। अध्यक्ष, एपीडा ने अपने स्वागत भाषण में निर्यात परिदृश्य और एपीडा द्वारा की गई पहलों पर विस्तृत प्रस्तुति दी। प्रधान सचिव और एपीसी, केरल सरकार ने अपने विशेष भाषण में निर्यात की गुणवत्ता वाले कृषि उत्पादों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए केरल सरकार द्वारा की गई पहलों के बारे में जानकरी दी। क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलुरु ने एपीडा की नई एफएएस योजनाओं पर प्रस्तुति दी।

8. कृषि एवं सहकारी विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार और इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा 22–23 नवम्बर, 2017 को संयुक्त रूप से आयोजित भारतीय चावल संगोष्ठी – क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद ने कृषि एवं सहकारी विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार और इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा 22–23 नवम्बर, 2017 को संयुक्त रूप से आयोजित भारतीय चावल संगोष्ठी में भागीदारी की। श्री ए.के. गुप्ता, निदेशक (बीईडीएफ) एपीडा ने आयोजन में भागीदारी की और एक प्रस्तुति दी। एपीडा ने उपर्युक्त कार्यक्रम को सह–प्रायोजित किया।

9. नागर विमानन पर अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और कॉन्फ्रेंस – विंग्स इंडिया 2018 – बेगमपेट हवाईअड्डा, हैदराबाद पर कार्गो और लॉजिस्टिक्स पर सम्मेलन – अध्यक्ष, एपीडा ने 9 मार्च को नागर विमानन पर अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और कॉन्फ्रेंस – विंग्स इंडिया 2018 – बेगमपेट हवाईअड्डा, हैदराबाद पर कार्गो और लॉजिस्टिक्स पर सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने माननीय नागर विमानन मंत्री, भारत सरकार की उपस्थिति में पेरीशेबल कार्गो पर एक प्रस्तुति दी।

10. एपीडा के क्षेत्रीय कार्यालयों की गतिविधियां

10.1 एपीडा क्षेत्रीय कार्यालय, मुम्बई

10.1.1 क्षमता निर्माण/प्रशिक्षण/संसेटाइजेशन कार्यक्रम/कार्यशालाएं

1. क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई कार्यालय में एनपीपीओ के अधिकारियों के लिए सिंचाई पर यूएसडीए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।
2. धुले, महाराष्ट्र में मूंगफली पर जागरूकता सह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।
3. चिखाली (बुलधाना) में 20 मई, 2017 को निर्यात प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है।
4. नागपुर में 29 मई, 2017 को जीवित भेड़ों और बकरियों के निर्यात के लिए संसेटाइजेशन कार्यक्रम।
5. क्षेत्रीय कार्यालय, मुम्बई ने यूएनसीटीएडी–एम्प्रेटेक के सहयोग से वाशी, नवी मुम्बई में दो दिवसीय (13–14 नवम्बर, 2017) कार्यक्रम आयोजित किया। कुल 30 उद्यमियों ने भागीदारी की जिनमें कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र के उभरते निर्यातक, उत्पादक निर्यातक, महिला उद्यमियों ने भागीदारी की।
6. निदेशक बागवानी की अध्यक्षता में औरंगाबाद में दिनांक 7 दिसम्बर, 2017 को मराठवाड़ा क्षेत्र पर अनार, अंगूर और सब्जियों के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई।
7. क्षेत्रीय कार्यालय, मुम्बई और एमएसएएमबी ने अकोला जिलाधीश कार्यालय के सहयोग से दिनांक 29 दिसम्बर, 2017 को जिलाधीश कार्यालय में सब्जी क्लस्टर के क्लस्टर विकास के लिए सब्जी निर्यात पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की। उक्त कार्यशाला में 250 कृषक उपस्थित हुए।
8. दिनांक 26 फरवरी, 2018 को क्लस्टर विकास कार्यक्रम के तहत गुजरात के भरूच और नर्मदा जिलों से केले के निर्यात के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का अयोजन किया गया।

10.1.2 क्षेत्रीय कार्यालय मुम्बई ने निम्नलिखित के लिए समिति का आयोजन किया/भाग लिया:

1. इयू संयुक्त निरीक्षण/पैक हाउस ऑडिट : 55
2. मांस संयंत्र पंजीकरण समिति का दौरा: 20
3. मूंगफली प्रसंस्करण मान्यता समिति का दौरा : 75
4. ईआईए निरीक्षण समिति का दौरा: 3

5. एनपीपीओ निरीक्षण समिति का दौरा: 15
6. ग्राहकों/एजेंसियों/स्टेकधारकों के साथ बैठक: 90
7. वास्तविक सत्यापन: 9
8. मूल कारण विश्लेषण निरीक्षण: 1

10.1.3 शिष्टमंडल:

क्षेत्रीय कार्यालय, मुम्बई ने वर्ष के दौरान पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय शिष्टमंडलों के दौरों का संयोजन किया:

- मॉरीशस शिष्टमंडल
- फिलीपीन शिष्टमंडल
- मलेशियाई शिष्टमंडल
- यूएसडीए शिष्टमंडल
- दक्षिण अफ्रीकी शिष्टमंडल
- इंडोनेशियाई शिष्टमंडल

10.1.4 टीएएस

- वर्ष के दौरान कुल 4537 फाइलों, जिनमें एफएफवी प्रभाग, प्रसंस्कृत खाद्य प्रभाग, पुष्पकृषि प्रभाग, दुग्ध और मांस उत्पाद निर्यातक शामिल हैं, के लिए रु.80.624 करोड़ की टीएएस निधि का संवितरण

10.1.5 अन्य पहलें

1) अकोला जिला (विदर्भ क्षेत्र) में केला क्लस्टर का सफलतापूर्वक निर्माण : 500 कृषकों के एफपीओ बनाए गए और निर्यातकों के साथ करार हस्ताक्षरित किए गए। निर्यातकों को पोषक तत्व प्रबंधन, फलों का रखरखाव, कृषकों को पौधों की देखभाल और सहमत मूल्य पर केले की पुनः खरीद जैसे विषयों पर तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान किया गया।

अकोला केला क्लस्टर से केले के निर्यात का वाणिज्यिक शिपमैंट आरंभ किया गया।

2) अकोला में सब्जी क्लस्टर: अकोला में नवनिर्मित सब्जी क्लस्टर के अंतर्गत किए जाने वाले ट्रेसेबिलिटी के लिए बैकवर्ड लिंकेज के सुदृढ़ीकरण के लिए सब्जी कृषकों और निर्यातकों के बीच सहमत करार।

3) एमएसएएमबी पैक हाउस का प्रचालनीकरण – क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई ने विदर्भ में चंदूर रेलवे पर आरकेवीवाई के अंतर्गत एमएसएएमबी द्वारा निर्मित पैकहाउस के प्रचालनीकरण के लिए पहल की गई है। इस मध्यवर्तन की वजह से पैकहाउस नागपुर आधारित निर्यातक ओ आवंटित किया गया। दिनांक 31 मार्च 2018 तक, चंदूर रेलवे पैकहाउस से नागपुर हवाईअड्डे के जरिए लगभग 700 मिट्रिक टन हरी मिर्च और सब्जी का निर्यात किया गया।

10.2 एपीडा क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलुरू

10.2.1 क्लस्टर विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्र.सं.	दिनांक	उत्पाद	स्थल	क्षेत्रीय दौरे
1	11.12.2017	आम और गुलाबी प्याज	बागवानी विभाग, बेंगलुरु	दिनांक 13.12.2017 को कोलार और चिकबलपुरा का स्थलीय दौरा
2	12.12.2017	नेंद्रन केला और अनानास	राज्य हॉर्टिकल्चर मिशन, त्रिवेंद्रम	13.12.2017 को त्रिवेंद्रम के निकट स्थलीय दौरा
3	08.03.2017	अनानास	मुवत्तुपुजाए	अनानास प्रसंस्करण इकाई का दौरा
4	13.03.2017	आम और गुलाबी प्याज	राम नगाड़ा	.....
5	14.03.2017	नेंद्रन केला	थृश्शूर	.....
6	23.03.2017	आम और गुलाबी प्याज	चिकबल्लपुरा	.....
7	24.03.2017	आम और गुलाबी प्याज	कोलार	.....

10.2.2 प्रशिक्षण कार्यक्रम/संसेटाइजेशन कार्यक्रम/बैठकें/शिष्टमंडल

1. एपीडा, सीआईआई–फेस और तमिलनाडु एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एंड एग्री बिजनेस द्वारा फार्मर्स रेजीडेंसी, टीएनएयू कैम्पस, कोयम्बटूर, तमिलनाडु में दिनांक 13 अप्रैल 2017 को जीएपी, पीओपी और जीएचपी पर प्रशिक्षण कार्यक्रमः एपीडा ने सीआईआई–फेस के सहयोग से दिनांक 13.04.2017 को कोयम्बटूर में सब्जियों पर क्लस्टर विकास कार्यक्रम के अंतर्गत एक दिवसीय फसल विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। डॉ. आर.सी. नंदकुमार, रजिस्ट्रार, तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय इसमें मुख्य अतिथि थे और उन्होंने उद्घाटन भाषण दिया। तमिलनाडु राज्य कृषि विश्वविद्यालय और मार्केटिंग बोर्ड, तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विपणन और कृषि व्यापार विभाग के अधिकारियों, किसानों, निर्यातकों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया।
2. विलन्यूस, लिथुआनिया में 9 से 12 मई 2017 को बीटीएसएफ प्रशिक्षण कार्यक्रमः श्री आर. रविंद्रा, डीजीएम के साथ–साथ सुश्री रीबा अब्राहम, एजीएम, एपीडा को विलन्यूस, लिथुआनिया में 9 से 12 मई 2017 तक जैविक खेती योजना पर बीटीएसएफ प्रशिक्षण कार्यक्रम – सत्र 5 में भाग लेने के लिए नामित किया गया। तदनुसार, इन अधिकारियों ने उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में एपीडा का प्रतिनिधित्व किया और सहभागिता की।
3. कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के लिए विस्तार कौशल – 'मैनेज', हैदराबाद में 5 से 7 फरवरी, 2018 तक प्रशिक्षण कार्यक्रमः श्रीमती तंगम रामंचद्रर, एजीएम को 'मैनेज', हैदराबाद में 5 से 7 फरवरी, 2018 तक कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के लिए विस्तार कौशल पर प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए नामित किया गया
4. दिनांक 15 से 17 फरवरी, 2018 तक आयोजित यूएसए का कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यातकों के लिए यूएस–एफएसएमए प्रशिक्षण कार्यक्रमः क्षेत्रीय कार्यालय बेंगलुरु ने दिनांक 15 से 17 फरवरी, 2018 तक दक्षिणी क्षेत्र के निर्यातकों के लिए एफएसएमए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। लगभग 25 सहभागियों ने कार्यक्रम में उपस्थिति दर्ज की। यह प्रशिक्षण सतगुरू मैनेजमैंट कन्सल्टेंट्स के सहायक प्रोफेसरों डॉ. सत्यनारायण के.वी. और श्री श्रीराम द्वारा प्रदान किया गया। अंतिम दिन अर्थात 17–02–2018 को, सहभागियों को प्रशिक्षण कार्यक्रम के सफलतापूर्वक पूरा होने के लिए प्रमाणपत्र जारी किए गए। प्रशिक्षण कार्यक्रम के पाठ्यक्रम और विषय–वस्तु के संबंध में सहभागियों की ओर से अत्यंत उत्साहवर्धक और सकारात्मक फीडबैंक प्राप्त हुआ।
5. बेंगलुरु में 27 और 28 अक्टूबर 2017 को निर्यातकों के लिए क्षमता निर्माण के लिए दो दिवसीय यूएनसीटीएडा एम्प्रेटेक प्रशिक्षण कार्यक्रमः एपीडा के बेंगलुरु कार्यालय ने श्री अर्णव चक्रवर्ती, राष्ट्रीय निदेशक, एम्प्रेटेक इंडिया फाउंडेशन के साथ समन्वय करके 27 और 28 अक्टूबर 2017 को होटल फॉर्चून जेपी सिलेक्ट कॉसमॉस में निर्यातकों के लिए क्षमता निर्माण के लिए दो दिवसीय यूएनसीटीएडा एम्प्रेटेक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल से लगभग लगभग 19 सहभागियों ने कार्यक्रम में भागीदारी की। डॉ. देवाशीष डे और श्री अर्णव चक्रवर्ती ने दोनों दिन तकनीकी सत्रों की संभलाई की और निर्यातकों को अंतिम दिन भागीदारी प्रमाणपत्र जारी किया गया।
6. हिरियूर में 24.01.2018 को Peanut.net के लिए संसेटाइजेशन कार्यक्रमः एपीडा बेंगलुरु ने कृषि विज्ञान केंद्र, हिरियूर के साथ समन्वय करके चित्रदुर्ग के चल्लकेरे और हिरियूर ताल्लुकों में मूंगफली के प्रसंस्करणकर्ताओं/निर्यातकों के लाभार्थ Peanut.net प्रणाली में संशोधनों के डेमोंस्ट्रेशन के लिए एक–दिवसीय संसेटाइजेशन कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम का आयोजन 24.01.2018 को केवीके में किया गया। निदेशक, एपीडा, एपीडा के अधिकारियों, डॉ. एस. ओंकारप्पा, वरिष्ठ वैज्ञानिक और प्रमुख, केवीके, चित्रदुर्ग ने कार्यक्रम में भागीदारी की। लगभग 35 निर्यातकों/प्रसंस्करणकर्ताओं ने कार्यक्रम में भागीदारी की। श्री मनप्रकाश विजय, एजीएम ने Peanut.net सोफ्टवेयर में किए गए संशोधनों पर डेमोंस्ट्रेशन दिया और एपीडा की नई एफएएस योजनाओं के बारे में स्पष्टीकरण भी दिया।
7. अध्यक्ष, एपीडा का दिनांक 6 सितम्बर 2017 को रक्षा खाद्य अनुसंधान प्रयोगशाला (डीएफआरएल), मैसूर का दौराः एपीडा ने दिनांक 06.09.2017 को प्रसंस्कृत खाद्य निर्माताओं/निर्यातकों के शिष्टमंडल को मैसूर स्थित रक्षा खाद्य अनुसंधान प्रयोगशाला (डीएफआरएल) में ले जाने की पहल की थी। अध्यक्ष, एपीडा के साथ–साथ एपीडा के अधिकारियों और खीरा/खाने को तैयार/त्वरित खाद्य उत्पादों/प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों/प्रसंस्कृत फलों और सब्जियों के 18 निर्यातकों ने डीएफआरएल का दौरा किया और उन्हें डीएफआरएल द्वारा किए जा रहे नव–प्रयोगं/अनुसंधान/प्रौद्योगिकी अंतरण दर्शाए गए। अध्यक्ष, एनपीडा ने एपीडा की गतिविधियों और भूमिका के बारे में भाषण दिया। डीएफआरएल द्वारा एक प्रेजेंटेशन दिया गया और डॉ. राकेश कुमार शर्मा, निदेशक, डीएफआरएल के साथ एक बैठक की गई। डीएफआरएल के अधिकारियों ने निर्यातकों द्वारा उठाए गए प्रश्नों का उत्तर दिया।
8. नाबार्ड द्वारा 23.11.2017 को कोचीन में आयोजित कमोडिटी बोर्डों के साथ परामर्श बैठकरू क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलुरु ने नाबार्ड द्वारा 23.11.2017 को कोचीन में कमोडिटी बोर्डों की परामर्श बैठक में भाग लिया। कमोडिटी बोर्डों यथा कॉफी

बोर्ड, चाय बोर्ड, रबड़ बोर्ड, कॉयर बोर्ड, नारियल विकास बोर्ड, के प्रतिनिधि, एमपीईडीए और एपीडा के प्रतिनिधि बैठक में उपस्थित थे। बैठक की अध्यक्षता श्री एच.आर. दवे, उप महाप्रबंधक, नाबार्ड द्वारा की गई। बोर्डों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य ने अपने संगठन से संबंधित मुद्दों को रेखांकित किया। डीजीएम (आरआर) ने एपीडा की गतिविधियों के बारे में वर्णन किया, जिसमें एपीडा द्वारा निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए तैयार किए गए क्लस्टर विकास और रणनीति पत्र पर अधिक ध्यान दिया गया।

9. डीजीएफटी द्वारा भारत और यूरेशिया के बीच 26.04.2017 को आयोजित बैठक और 27.04.2017 को संयुक्त सचिव के साथ बैठकः जेडीएफटी द्वारा वीटीपीसी के सहयोग से बेंगलुरु में 26.04.2017 स्टेकधारकों की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता श्री सुनील कुमार, आईएएस, संयुक्त सचिव, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की गई। क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलुरु के साथ–साथ एपीडा के निर्यातकों ने बैठक में भागीदारी की।

10. बेंगलुरु में दिनांक 28.11.2017 को दक्षिण जोनल काउंसिल की स्थायी समिति की 10वीं बैठकः क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलुरु ने बेंगलुरु में दिनांक 28.11.2017 को होटल कैपिटोल, बेंगलुरु में दक्षिण जोनल काउंसिल की स्थायी समिति की 10वीं बैठक में भाग लिया। श्री रुओलखुमलीन भूरिल, आईएएस, अपर सचिव और सलाहकार, गृह मंत्रालय, भारत सरकार इस बैठक के संयोजक थे। बैठक की अध्यक्षता डॉ. सुभाष चंद्र खूंटिया, आईएएस, मुख्य सचिव, कर्नाटक सरकार द्व ारा की गई। तमिलनाडु और पांडिचेरी के मुख्य सचिवों और केरल सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव और कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने बैठक में हिस्सा लिया।

11. आई.आई.एच.आर. में दिनांक 15.12.2017 को निर्यातकों के साथ परामर्श बैठकरू क्षेत्रीय कार्यालय बेंगलुरु ने आई.आई. एच.आर. के सहयोग से, एपीडा की वित्तीय सहायता से, दिनांक 15.12.2007 को आई.आई.एच.आर. में एक–दिवसीय ''बागवानी उत्पादों के निर्यातकों के साथ परामर्श बैठक'' का आयोजन किया। बैठक का उद्देश्य निर्यातकों के साथ, निर्यात के दौरान उनके समक्ष आने वाले मुद्दों पर विचार विमर्श करना और प्रौद्योगिकीय सहायता संबंधी उनकी आवश्यकताओं का वर्णन करना भी था। डॉ. प्रकाश पाटिल, निदेशक (प्रभारी), आईआईएचआर और क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलुरु ने उद्घाटन भाषण दिया। आईआईएचआर के सब्जी फसल, पुष्पकृषि और चिकित्सकीय फसलों, फसल के पश्चात प्रौद्योगिकी, मृदा विज्ञान, कृषि इंजीनियरिंग, कीटविज्ञान, पादप रोग–निदान, कृमि विज्ञान (नेमाटोलोजी), जैव–रसायन विज्ञान और शारीरिक विज्ञान विभागों से संबंधित प्रख्यात वैज्ञानिकों ने प्रस्तुतिकरण दिया जिसक बाद समूह चर्चाएं की गईं। लगभग 25 से 30 निर्यातकों ने बैठक में भाग लिया।

12. इंडोनेशियाई शिष्टमंडल का दिनांक 09.03.2018 को मैसर्स वर्षा फ्रैश मीट प्रोडक्ट्स लिमिटेड, पलक्काड की इकाई का दौराः क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलुरु ने इंडोनेशियाई शिष्टमंडल के साथ दिनांक 09.03.2018 को मैसर्स वर्षा फ्रैश मीट प्रोडक्ट्स लिमिटेड, पलक्काड की इकाई का दौरा किया। शिष्टमंडल ने शामिल श्री हादरी लतीफ, श्री आरिफ विकाकसोनो और श्री मुहम्मद मुहर्ररम हिदायत ने मांस संयंत्र का दौरा किया।

10.3 पूर्वोत्तर क्षेत्र में पहलें – एपीडा क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी

10.3.1 पूर्वोत्तर क्षेत्र में सम्पर्क कार्यक्रम/संसेटाइजेशन कार्यक्रम

पूर्वोत्तर क्षेत्र में आठों राज्यों में राज्य सरकारों के सहयोग से निर्यातकों के लिए नियमित आधार पर सम्पर्क कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है जिनमें डीजीएफटी, एफएसएसएआई, एनपीपीओ, सीमाशुल्क, वित्तीय संस्थाओं, लॉजिस्टिक्स प्रदाताओं आदि के संसाधनों से संबंधित व्यक्तियों द्वारा भी भाग लिया जाता है। धर्मनगर, त्रिपुरा में 28 अप्रैल 2017 को निर्यात सम्पर्कों के लिए त्रिपुरा के अनानास पर विशिष्ट सम्पर्क कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

10.3.2 क्षमता निर्माण कार्यक्रम/प्रशिक्षण कार्यक्रम

1. संभावित उद्यमियों/निर्यातकों में प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों में ज्ञान का प्रचार करने और उन्हें बाजार सम्पर्क मुहैया कराने के लिए अरुणाचल प्रदेश में अनानास, अदरक, टमाटर, मंदारिन संतरे पर मूल्य संवर्धन के संबंध में, एपीडा द्वारा डीएफआरएल के सहयोग से सालारी, अरुणाचल प्रदेश में 9 से 10 दिसम्बर 2017 तक अरुणाचल प्रदेश के संभावित उद्यमियों के लिए स्थानीय रूप से उपलब्ध फलों और सब्जियों के मूल्य संवर्धन पर एक दो–दिवसीय प्रदर्शनी का अयोजन किया गया।

2. एपीडा ने संयुक्त राष्ट्र के भारत के लिए एम्प्रेटेक कार्यक्रम के सहयोग से पूर्वोत्तर के निर्यातकों के लिए 8 और 9 फरवरी 2018 को एक दो–दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया। पूर्वात्तर के तीन युवा निर्यातक नई दिल्ली में 5 से 10 मार्च 2018 तक आयोजित ग्रेजुएट एम्प्रेटेक कार्यक्रम में सफलतापूर्वक ग्रेजुएट किए गए। पूर्वोत्तर से एक निर्यातक का चयन भारत से यूएन–एम्प्रेटेक कार्यशालाओं के लिए समन्वयक के रूप में काम करने के लिए किया जा रहा है।

3. एक्सपोजर विजिट के भाग के रूप में, अध्यक्ष, एपीडा के नेतृत्व में 18 निर्यातकों और क्षेत्रीय कार्यालय बेंगलुरु तथा क्षेत्रीय कार्यालय गुवाहाटी से एपीडा के अधिकारियों ने खाद्य प्रसंस्करण, संरक्षण और मूल्य वर्धित उत्पादों

के विकास के क्षेत्रों में सूचना का प्रसार और नवीनतम प्रौद्योगिकी के बोध के लिए 6 सितम्बर 2017 को मैसूर, कर्नाटक स्थित रक्षा खाद्य अनुसंधान प्रयोगशाला (डीएफआरएल) का दौरा किया।

10.3.3 पूर्वोत्तर में क्लस्टर विकास

1. क्लस्टर कार्यक्रम के भाग के रूप में, मेघालय में जिला बागवानी कार्यालय नोनपोह, मंघालय में 21 नवम्बर 2017 को अनानास कृषकों के लिए अनानास पर प्रशिक्षण आयोजित किया गया। अनानास पर उत्तम कृषि परिपाटियों (जीएपी), अनानास पर फसल–पश्चात प्रबंधन परिपाटियों, निर्यात के लिए पैकहाउस अपेक्षा और अनानास संबंधी मानकों, निर्यात प्रक्रियाओं, निर्यातकों के लिए पौध संगरोध संबधी अपेक्षाओं पर केवीके–एटीएआरआई, एनपीपीओ, सीआईपीसी, आईसीएआर, एपीडा की ओर से अनेक विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
2. दिनांक 28 मार्च 2018 को एक अन्य सफल कार्यक्रम सह स्टेकधारक परामर्श बैठक का आयोजन किया गया जिसमें 150 कृषकों, राई–भोई जिले से 3 कृषक उत्पादक कम्पनियों, 8 निर्यातकों आदि ने भागीदारी की। राज्य सरकार के अधिकारियों, पौध संगरोध अधिकारियों, आईसीएआर–एटीएआरआई, एमएसटीसी, एनईआरएएमएसी, सीआईपीएमसी, कस्टम हाउस एजेंटों, इंडिगो एयरलाइंस, मालभाड़ा प्रदाताओं आदि का प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य शेयरधारकों ने कार्यक्रम में भागीदारी की। कार्यक्रम में, इन क्लस्अरों से निर्यात में वृद्धि करने के प्रयासों को मिलाकार विभिन्न स्टेकधारकों द्वारा अपेक्षित मध्यवर्तन पर विचार विमर्श किया गया। अनानास क्लस्टरों के कृषकों को अनानास पर एकीकृत कीट प्रबंधन परिपाटियों, गुणवत्ता के अनुरक्षण के साथ निर्यात गंतव्यों के लिए फसल पश्चात प्रबंधन परिपाटियों पर सीआईपीएमसी और एटीएआरआई के विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
3. दिनांक 19.12.17 को नोनपोह, मेघालय में स्टेकधारकों के साथ विभिन्न मध्यवर्तनों पर चर्चा करने के लिए अनानास के लिए क्लस्टर विकास पर शेयरधारकों की बैठक का आयोजन भी किया गया।

10.3.4 पूर्वोत्तर क्षेत्र में जैविक उत्पादों का प्रोत्साहन

दीमापुर, नागालैंड में दिनांक 19 मार्च,, 2018 को एपीडा द्वारा राज्य सरकार के सहयोग से सम्पर्क सह बीएसएम कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें निर्यातकों, एमएसटीसी, एनईआरएएमएसी, लॉजिस्टिक्स प्रदाताओं आदि ने भाग लिया। बाद में क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी द्वारा इन विशेषज्ञों के लिए 20 मार्च 2018 को एक स्थल दौरे की व्यवस्था भी कराई गई। एफपीओ/एफपीसी ने अदरक, हल्दी, किंग चिली, राजमा, अनानास, किवी आदि जैसी वस्तुओं का प्रदर्शन किया। सहभागिता करने वाले निर्यातकों और खरीदारों ने इन वस्तुओं में रुचि प्रदर्शित की। एमओवीसीडी कार्यक्रम के अंतर्गत निर्मित एफपीहो/एफपीसी का सम्पर्क ब्यौरा निर्यातकों और खरीदारों के साथ प्रदान किया गया।

10.3.5 क्रेता-विक्रेता सम्मेलन (बीएसएम)

1. उत्तर प्रदेश राज्य बागवानी विपणन संघ (एचओएफईडी) और एपीडा ने संयुक्त रूप से दिनांक 15 दिसम्बर 2017 को शिलांग में आलू क्रेता–विक्रेता सम्मेलन का आयोजन किया।
2. क्षेत्रीय कार्यालय गुवाहाटी ने दिनांक 26 अप्रैल 2017 को ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश में मसाला बोर्ड द्वारा आयोजित क्रेता–विक्रेता सम्मेलन में एपीडा के कुछ पंजीकृत निर्यातकों के साथ भाग लिया जिन्होंने स्रोत गुणवत्ता वाले मसालों और अन्य फसलों में रुचि दर्शाई है।

10.3.6 पूर्वात्तर क्षेत्र में एफपीओ/एफपीसी का प्रोत्साहन

क्षेत्रीय कार्यालय गुवाहाटी ने एसएफएसी द्वारा आयोजित पूर्वोत्तर में एफपीओ/एफपीसी के प्रोत्साहन में निर्यातकों, क्लस्टरों से एफपीसी, स्टेकधारकों आदि को आमंत्रित करके दिनांक 13 दिसम्बर 2017 को कृषकों की आय को दुगुना करने के लिए आयोजित कार्यक्रम को प्रायोजित किया और इसमें सक्रिय रूप से भागीदारी की।

इसके अतिरिक्त, क्षेत्रीय कार्यालय गुवाहाटी ने दिनांक 26 अप्रैल, 2017 को ईटानगर, आंध्र प्रदेश में मसाला बोर्ड द्वारा आयोजित मसाला कृषक उत्पादक कम्पनियों को प्रचालनीकृत करने के लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम में भागीदारी की। माननीय केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री, श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया।

10.3.7 पूर्वात्तर क्षेत्र से पोर्क और पोर्क उत्पादों का प्रोत्साहन

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) के सहयोग से दिनांक 9 सितम्बर, 2017 को आईसीएआर–नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन पिग, गुवाहाटी (आईसीएआर–एनआरसीपी) में 'पूर्वोत्तर क्षेत्र में सूअर उत्पादन प्रणाली में विस्तार पर चर्चा करने के लिए एक–दिवसीय बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य स्टेकधारकों के लिए पिगरी सेक्टर से संबंधित मुद्दों पर चर्चा और विचार–विमर्श करने के लिए स्टेकधारकों के लिए

एक मंच तैयार करना और महत्वपूर्ण कमियों की पहचान की गई और विशेष रूप से पूर्वात्तर क्षेत्र में, इन कमियों को भरने के लिए संभावित कार्य नीतियां तैयार करना था, जिसमें 40 से अधिक सहभागियों ने भाग लिया, जिनमें एपीडा; आईसीएआर–एनआरसी ऑन पिग; पूर्वोत्तर राज्यों के राज्य पशुपालन विभाग; पशुपालन, दुग्ध और मत्स्यपालन विभाग (डीएएफडी), भारत सरकार; ब्रिटिश उच्चायोग; ब्रिटिश पिग एसोशिएसन; असम पशुधन और मुर्गीपालन निगम; मेघालय उद्यमिता संस्थान; आईसीसीओ; राष्ट्रीय ग्रामीण विकास निधि; पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स; वाणिज्यिक सूअर कृषक, उद्यमी; पोर्क और पोर्क उत्पादों के निर्यातक आदि शामिल थे।

एपीडा ने पोर्क और पोर्क उत्पादों के लिए एनआरसी पिग के माध्यम से दिशानिर्देश और प्रक्रियाएं विकसित की हैं। एनपीडा के प्रयासों से, मैसर्स जेएस एक्सपोर्ट्स ने असम में एएलपीसीओ मांस प्रसंस्करण इकाई लीज पर ली है।

10.3.8 एयरलाइनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक

क्षेत्रीय कार्यालय गुवाहाटी ने 29 मार्च 2018 को एक बैठक का आयोजन किया जिसमें इंडिगो एयरलाइन (कार्गो) के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग और वाणिज्य ने भाग लिया, जिसमें इंडिगो एयरलाइन ने असम से पेरिशेबल कार्गो हवाई मार्ग से ले जाने के लिए अपनी रुचि अभिव्यक्त की और गुवाहाटी से आसियान देशों के साथ उड़ान प्रचालन आरंभ करने की संभावनाओं पर भी चर्चा की।

क्षेत्रीय कार्यालय गुवाहाटी में 6 अप्रैल 2018 को एयरलाइन प्रतिनिधियों के साथ निर्यातकों की एक और बैठक आयोजित की गई जिसमें कुछ निर्यातकों ने हवाई मार्ग द्वारा ताजे उत्पादों के संभावित निर्यात के लिए मालभाड़ा दरों पर वार्ता की है।

10.3.9 पूर्वोत्तर राज्यों की निर्यात संभावना खोजने पर अध्ययन

पूर्वोत्तर से निर्यात अवसरों की खोज के लिए व्यापक मास्टर प्लान पर एपीडा की ओर से सतगुरु मैनेजमैंट कंसल्टेंट्स प्रा.लि., हैदराबाद द्वारा एक अध्ययन कराया गया। पूर्वोत्तर क्षेत्र से निर्यात संभावनाओं को मूर्त रूप देने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए, मुख्य सिफारिशें और कार्य योजना सुझाई गई। अध्ययन की एक प्रति स्टेकधारकों के लाभार्थ एपीडा की वेबसाइट पर भी डाली गई है।

10.3.10 ईडीएफ अवसंरचना परियोजनाओं सहित अवसंरचना निगरानी और निरीक्षण परियोजनाएं

क्षेत्रीय कार्यालय गुवाहाटी ने पूर्वोत्तर में एपीडा द्वारा वित्तपोषित अवसंरचना परियोजनाओं का भौतिक निरीक्षण किया है जिसमें इन अवसंरचना परियोजनाओं की समयबद्ध तरीके से प्रगति की निगरानी भी शामिल है।

10.4 एपीडा क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता

पूर्वी क्षेत्र में एपीडा क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता, भारतीय उत्पादों के निर्यात के लिए सार्क, सूदूर पूर्व और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का द्वार है। एपीडा के कोलकाता कार्यालय का विभिन्न राज्य और केंद्रीय सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों के साथ एपीडा के कार्यक्रम और योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अच्छा तालमेल है। क्षेत्र में विभिन्न कृषि–निर्यात क्षेत्रों में गुणवत्ता और अवसंरचना के विकास के लिए एपीडा के विकास कार्यक्रम, एफएएस, टीएएस और एमडीए पर सूचना मुहैया कराने और इसका प्रसार करने के लिए हम निर्यातकों के साथ–साथ विभिन्न व्यापारी और संस्थागत आयोजनों में भाग ले रहे हैं।

10.4.1 प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्र.सं.	दिनांक और स्थान	कार्यक्रम का शीर्षक	विशिष्ट उत्पाद
01.	19 अप्रैल, 2017 कोलकाता पश्चिम बंगाल	''यूरोपियन यूनियन को फलों और सब्जियों के निर्यात के लिए कृषक पंजीकरण और आईपीएम'' पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	ताजे फल और सब्जियां
02.	24 अप्रैल, 2017 फरक्का, पश्चिम बंगाल	लीची और आंम पर निर्यातकों के साथ प्रशिक्षण सह वार्ता कार्यक्रम	लीची और आम
03.	30 अप्रैल, 2017 मालदा	**लीची और आम पर निर्यातकों के साथ प्रशिक्षण सह वार्ता कार्यक्रम**	लीची और आम
04.	13.14 मई, 2017 मुजफ्फरपुर बिहार	लीची पर पहला प्रशिक्षण	लीची
05.	बारासात पश्चिम बंगाल	कृषकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम	ताजे फल और सब्जियां
06.	29.30 मई, 2017 मुजफ्फरपुर बिहार	लीची पर दूसरा प्रशिक्षण	लीची
07.	12 जनवरी, 2018 सीयूटीएम यूनिवर्सिटी कैम्पस, परलखेमुंडी, ओडिशा	ओडिशा में गुणवत्तापूर्ण मिर्च और बेबी कॉर्न के उत्पादन के लिए उत्तम कृषि परिपाटियों पर प्रशिक्षण सह संसेटाइजेशन कार्यक्रम	मिर्च और बेबी कॉर्न
08.	16 जनवरी, 2018 पटना, बिहार	बिहार राज्य से कृषि निर्यात पर एक दिवसीय कार्यक्रम	फल और सब्जियां
09.	09 फरवरी, 2018 फलकता, पश्चिम बंगाल	''भूटान को फलों और सब्जियों के निर्यात'' पर कृषकों के लिए एक दिवसीय जागरूकता सह प्रशिक्षण कार्यक्रम	हरी मिर्च
10.	13 मार्च, 2018 अशोक नगर, पश्चिम बंगाल	निर्यात के लिए गुणवत्तापूर्ण सब्जियों के उत्पादन पर कृषकों के लिए प्रशिक्षण सह जागरूकता	सब्जियां
11.	14 मार्च, 2018 भंगार, पश्चिम बंगाल	निर्यात के लिए गुणवत्तापूर्ण सब्जियों के उत्पादन पर कृषकों के लिए प्रशिक्षण सह जागरूकता कार्यक्रम	सब्जियां
12.	15 मार्च, 2018 कृष्णानगर, पश्चिम बंगाल	निर्यात के लिए गुणवत्तापूर्ण सब्जियों के उत्पादन पर कृषकों के लिए प्रशिक्षण सह जागरूकता कार्यक्रम	सब्जियां
13.	16 मार्च, 2018 बहरामपुर, पश्चिम बंगाल	नर्यात के लिए गुणवत्तापूर्ण सब्जियों के उत्पादन पर कृषकों के लिए प्रशिक्षण सह जागरूकता	सब्जियां
14.	5.10 फरवरी, 2018 इंस्टीट्यूट ऑफ आईसीएम,आरडी, पश्चिम बंगाल सरकार, कोलकाता	अनुसूचित समुदाय के लिए कोलकाता में पांच दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण	क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता ने ईडीआई–कोलकाता के सहयोग से पश्चिम बंगाल में चुने हुए जिलों में अनुसूचित समुदाय के लिए ''निर्यात के लिए बागवानी और मूल्य वर्धित उत्पादों पर उद्यमिता विकास कार्यक्रम'' पांच दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। अनुसूचित समुदाय से लगभग 55 अभ्यर्थियों ने इस आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया।

10.4.2 सेमीनार/बैठकें

- क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता ने वर्ष के दौरान पूर्वी क्षेत्र में 58 बैठकों और सेमीनारों का आयोजन/भागीदारी की। जागरूकता और निर्यात उन्मुखी विषय उठाए गए और एपीडा के अधिकारियों, राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों और पदाधिकारियों के साथ–साथ केवीके, जैसी औद्योगिक एसोशिएसनों, पीएफआई और बागवानी

विभाग, आईसीसी, एपीआईसीओएल, सीआईआई, पीएचडी चैम्बर्स, बीसीकेवी यूनिवर्सिटी और ईडीआई आदि जैसी संस्थाओं ने संभावित निर्यातकों को संबोधित किया।

- माननीय सीआईएम, भारत सरकार के साथ संवादमूलक बैठक – माननीय सीआईएम ने दिनांक 03.02.2018 को कोलकाता का दौरा किया और एमओसीएंडआई, भारत सरकार के अंतर्गत आने वाले विभिन्न संगठनों के क्षेत्रीय प्रमुखों के साथ एक संवादमूलक बैठक की। डीजीएम (आरकेएम), एपीडा कोलकाता ने बैठक में भाग लिया और सीआईएम को पूवी क्षेत्र में एपीडा की गतिविधियों और नवीनतम व्यापारिक गतिविधियों का ब्यौरा दिया।

10.4.3 लीची शोधन संयंत्र का उद्घाटन

बिहार के लीची निर्यातकों की सुविधा के लिए एनआरसी – लीची मुजफ्फरपुर द्वारा सृजित एक आम सुविधा केंद्र ''लीची शोधन संयंत्र'' का उद्घाटन 29 मई 2017 को माननीय केंद्रीय कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री श्री राधा मोहन सिंह द्वारा किया गया। डॉ. शेखर बसु, अध्यक्ष, डीएई भी इस अवसर पर उपस्थित थे। श्री आर.के. मंडल, डीजीएम, एपीडा, कोलकाता ने इस उद्घाटन समारोह में भाग लिया है।

10.4.4 निरीक्षण और स्थल दौरे

वर्ष के दौरान क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता द्वारा 15 निरीक्षण और स्थल दौरे आयोजित किए गए। इनमें प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों, एपीडा द्वारा वित्त पोषित आम अवसंरचना सुविधाओं, राज्य सरकारों के स्वामित्व वाली साझी अवसंरचना सुविधाओं और कृषक बाजारों के दौरे, एपीडा से वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करने वाली इकाइयों का निरीक्षण, मांस प्रसंस्करण संयंत्रों आदि का निरीक्षण शामिल है।

10.4.5 निर्यातकों के लिए नए उत्पादों की पहचान

पूर्वोत्तर क्षेत्र में लीची, अदरक और पश्चिम बंगाल में काले चावल को निर्यातकों के लिए नए उत्पादों के रूप में चिह्नित किया गया है।

10.4.6 भुवनेश्वर, ओडिशा में सम्पर्क ककक

क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता ने एपीआईसीओएल, ओडिशा सरकार के सहयोग से दिनांक 1 फरवरी, 2018 को सम्मेलन कक्ष, ओडिशा कृषि यांत्रिकी अनुसंधान और विकास केंद्र (ओएफएमआरडीसी), इकाई 9, भुवनेश्वर, ओडिशा में जैविक उत्पादों पर एक सम्पर्क ककक सह क्रेता विक्रेता सम्मेलन का आयोजन किया। कार्यक्रम अत्यंत सफल रहा।

10.4.7 गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला का मूल्यांकन

एक चार सदस्यीय समिति ने दिनांक 19.02.2018 को मूल्यांकन के लिए सेक्टर–5, साल्ट लेक, कोलकाता स्थित मैसर्स विमटा लैब की गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला का दौरा किया। समिति का सदस्य होने के नाते क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता ने दौरे का समन्वय किया। इस प्रयोगशाला के मूल्यांकन और एपीडा द्वारा इसके प्रमाणीकरण द्वारा यूरोपियन संघ हित विभिन्न वैश्विक गंतव्यों के लिए ताजे उत्पादों के सम्प्रेषण को सुगम बनाने के लिए कोलकाता क्षेत्र के ताजे फलों और सब्जियों की मांग पूरी होगी।

10.5 एपीडा क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद

10.5.1 आंध्र प्रदेश में क्लस्टर विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम :

क्र. सं.	दिनांक	उत्पाद	जिला एवं राज्य	क्षेत्रीय दौरे
1	11.12.2017 & 12-12-2017	अनार और केला	अनानथापुरम, आंध्र प्रदेश	12.12.2017 तडीपत्री का दौरा
2	27.03.2018	अनार और केला	जेडपीएच, करनूल, आंध्र प्रदेश	27.03.2018 को करनूल का दौरा

10.5.2 आंध्र प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर के विकास के लिए 16.10.2017 को एपीडा और आंध्र प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण सोसायटी, आंध्र प्रदेश सरकार के बीच समझौता ज्ञापन (एमओसी) पर हस्ताक्षर किया जाना – क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद ने दिनांक 16.10.2017 को विश्व खाद्य दिवस 2017 पर एपीडा और आंध्र प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण सोसायटी, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित एक बैठक में भाग लिया और विजयवाड़ा में आंध्र प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री के साथ एमओसी पर हस्ताक्षर किए। क्षेत्रीय कार्यालय हैदराबाद ने आंध्र प्रदेश सरकार के साथ एमओसी पर एपीडा की ओर से हस्ताक्षर किए।

10.5.3 हैदराबाद में 24.10.2017 को मिलेट और जैविक उत्पादों के प्रोत्साहन पर रोड़ शो – क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद ने हैदराबाद में 24.10.2017 को कर्नाटक राज्य कृषि उत्पाद प्रसंस्करण और निर्यात निगम लिमिटेड (केऐपीपीईसी), कर्नाटक सरकार द्वारा आयोजित मिलेट और जैविक उत्पादों के प्रोत्साहन पर रोड़ शो में भाग लिया।

10.5.4 हैदराबाद में 01.12.2017 को पैक हाउस प्रचालकों के साथ बैठक – क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद ने दिनांक 01.12.2017 को हैदराबाद में श्री मीयरे मोशे और उनकी टीम, पैक हाउस कंसलटेंट, योनोटन पैक हाउस, गोलान हाइट्स, इस्राइल

के साथ पैक हाउस प्रचालकों की बैठक का आयोजन किया।

10.5.5 भुवनेश्वर, ओडिशा में 18.01.2018 को बाजार सम्पर्कों और निर्यात अवसरों पर प्रस्तुतिकरण – क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद ने इमेज, श्रीपुर, भुवनेश्वर में 18.01.2018 को ईईआई, हैदराबाद द्वारा आयोजित बागवानी क्षेत्र में बाजार सम्पर्कों और निर्यात अवसरों पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया।

10.6.6 गुंटूर, आंध्र प्रदेश में 16.03.2018 को हॉर्टीनेट प्रशिक्षण कार्यक्रम – क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद ने गुंटूर में 16.03.2018 को एपीडा द्वारा बागवानी विभाग, गुंटूर, आंध्र प्रदेश सरकार के सहयोग से आयोजित हॉर्टीनेट प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया। मैसर्स लॉजिक सोफ्टवेयर के प्रतिनिधियों ने सोफ्टवेयर और प्रणाली पर अपनाई जाने वाली ऑनलाइन निर्यात प्रक्रियाओं के बारे में एक विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया।

10.6.7 दिनांक 29.03.2018 को किश्तापुर, मुंगोडे मंगल, नालगोंडा जिला, तेलंगाना में आम के खेतों का दौरा ककक . क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद ने दिनांक 29.03.2018 को किश्तापुर, मुंगोडे मंगल, नालगोंडा जिला, तेलंगाना में, इन क्षेत्रों में आम कृषकों के लाभार्थ, आम के खेतों का दौरा कार्यक्रम आयोजित किया।

10.6.8 प्रयोगशाला का मूल्यांकन – मैसर्स आईटीसी लिमिटेड, (कृषि प्रभाग), गुंटूर . एपीडा की अनुमोदित प्रयोगशाला योजना के रूप में प्रयोगशाला के मूल्यांकन के लिए गुंटूर स्थित प्रयोगशाला मैसर्स आईटीसी एएसडी लिमिटेड का निरीक्षण किया।

10.6.9 दिनांक 23.02.2018 को नुजविड क्षेत्रों में और 24.02.2018 को विजयवाड़ा क्षेत्र में, 29.03.2018 को किश्तापुर (अ), मुंगोडे मंगल, नालगोंडा जिला, तेलंगाना में बागवानी उत्पादों पर स्थल दौरा कार्यक्रम क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद ने 23.02.2018 को सीतारामपुरम, नुजविड और 24.02.2018 को गुड्डमंनुगु, जी, कोंदुरू (एम), कृष्णा जिला में एक बागवानी उत्पाद स्थल दौरा कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम का आयोजन बागवानी विभाग, आंध्र प्रदेश के साथ संयुक्त रूप से किया गया।

10.6.10 तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों में मांस शिष्टमंडल के दौरे

- दिनांक 20 से 22 अगस्त, 2017 को मलेशियाई मांस शिष्टमंडल (टीम । और टीम ।।) का हैदराबाद और विशाखापट्टनम दौरा, क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद ने मैसर्स फ्रीजेरियो अल्लाना लिमिटेड, मैसर्स अल–कबीर एक्सपोर्ट्स एंड विजाग फूड्स, विशाखापट्टनम के मांस संयत्रों के निरीक्षण के लिए 20 से 22 अगस्त 2017 तक मलेशियाई मांस शिष्टमंडल (टीम । और टीम ।।) का हैदराबाद और विशाखापट्टनम दौरा आयोजित किया।

- दिनांक 28 से 30 नवम्बर, 2017 को फिलीपीन के मांस शिष्टमंडल का हैदराबाद दौरा – क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद ने 28 और 29 नवम्बर, 2017 को क्रमशः मैसर्स फ्रीजेरियो कन्जर्वा अल्लाना प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स अल–कबीर एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के मांस संयत्रों के निरीक्षण के लिए क्रमशः दिनांक 28 से 30 नवम्बर, 2017 तक फिलीपीन के मांस शिष्टमंडल का हैदराबाद दौरा आयोजित किया।

- दिनांक 7 और 8 मार्च 2018 को इंडोनेशियाई मांस शिष्टमंडल का दौरा – क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद ने दिनांक 8 मार्च 2018 को मैसर्स फ्रैश एन फ्रोजन फूड टैक प्राइवेट लिमिटेड के मांस संयंत्र के निरीक्षण के लिए इंडोनेशियाई मांस शिष्टमंडल का हैदराबाद दौरा आयोजित किया।

एपीडा
APEDA

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)

तीसरी मंजिल, एनसीयूआई बिल्डिंग, 3 सीरी सांस्थनिक क्षेत्र, अगस्त क्रांति मार्ग (खेल गांव के सामने), नई दिल्ली – 110016
फोन: 26513204, 26513219, 26526186 Fax: 26534870
ई–मेल: headq@apeda.gov.in वेबसाइट: www.apeda.gov.in